वार्षिक रिपोर्ट

2003-04

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

7वाँ तल, कोर–3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन : 91–11–24361145, 24360216, फैक्स : 91–11–24360010, 24360058
ई–मेल : **cercind@ndf.vsnl.net.in**
वेबसाइट : **www.cercind.org**

प्राक्कथन

प्रिय पणधारियो,

भारतीय विद्युत सेक्टर के इतिहास में, वर्ष 2003-04 निःसंदेह उस वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जिस वर्ष नया विद्युत अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियम ने विनिधान को बढ़ाने और उपभोक्ता के हित के संरक्षण के लिए एक सामर्थ्यकारी वातावरण सृजित किया है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा और बाजार विकास की भूमिका पर बल देता है क्योंकि लागत या विनियमन विद्युत की कीमत में कमी करने में उतना प्रभावी कार्य नहीं कर सकती जितना प्रतियोगिता कर सकती है।

एक प्रधान विनियामक के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को अधिनियम के व्यापक उपबंधों को कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। आयोग ने अविलम्ब नए अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच संबंधी संकल्पना दस्तावेज और अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रारूप विनियमों को तैयार किया। हम तत्पश्चात, इन दोनों विषयों पर अपने अंतिम विनियमों को जारी करने में समर्थ हो गए । इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेशों को रद्द किए जाने के पश्चात, आयोग ने असंख्य टैरिफ याचिकाओं पर कारवाही की थी। आयोग ने बैकलॉग को निपटाने के लिए याचिकाओं की लगातार और सामूहिक रूप से सुनवाई की।

आयोग के समक्ष एक अन्य चुनौती 1 अप्रैल, 2004 से आरंभ होने वाली टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ के निबंधनों और शर्तों को तैयार करने की थी क्योंकि पूर्व टैरिफ अवधि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने को आ रही थी। नए टैरिफ विनियमों को तैयार करने की प्रक्रिया भी विचार-विमर्श दस्तावेज, टीका टिप्पणियां आमंत्रित करने, सार्वजनिक सुनवाई करने, प्रारूप विनियमों के साथ आरंभ की गई थी। यह एक संतोषजनक विषय था कि हमने समय पर नए टैरिफ विनियमों को अधिसूचित किया अपितु नए निबंधनों और शर्तों को अंतिम रूप देते समय महत्वपूर्ण अनुसंधान और नवीनतम कार्य भी किया। 2004-09 की अवधि के लिए नए टैरिफ विनियमों में, हमने प्रचालन और कार्य-निष्पादन के वित्तीय और तकनीकी संनियमों के लिए मानकीय पैरामीटरों के आधार पर लागत और वास्तविकता के सरल विनियमों पर आधारित अंतर्वेधी विनियमों से प्रेरित होकर कार्य किया। नए संनियमों से ऐसे थोक क्रेताओं और राज्य विनियामकों, जो खुदरा उपभोक्ता टैरिफों को नियत करते हैं, को सहायता प्रदान करते हुए, थोक विद्युत की कीमतों में कमी हुई। एक बहुत बड़ी विनियामक निश्चितता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, हमने पहले तीन वर्ष के बजाय पाँच वर्ष की अवधि के लिए विनियमों को अधिसूचित किया है।

जैसा कि आपको ज्ञात है, अधिनियम में हम विभिन्न नीतिगत विषयों पर, जिसमें राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति भी सम्मिलित है, केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए अपेक्षित है। आयोग ने इन मुद्दों पर सरकार को अपनी कानूनी सलाह दे दी है।

हमारे सभी आदेश और विनियम आयोग की वेबसाइट www.cercind.org पर उपलब्ध हैं।

हमारी भावी कार्यसूची में, विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आरंभ करना, पारेषण अनुज्ञप्ति संबंधी नए विनियम जारी करना, विद्युत बाजार का विकास

करना, जिसमें बाजार प्रभुत्व पर रोक भी सम्मिलित है, ऊर्जा विनियम आरंभ करना और अन्य विभिन्न मुद्दे सम्मिलित हैं।

यह दीर्घकालीन प्रयासों, प्रयत्नों, नेतृत्व और सामूहिक कार्य की मांग करने वाला एक कठिन चुनौतीपूर्ण वर्ष था। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि हमने पणधारियों की आशाओं के अनुरूप कार्य किया। यह सब आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के कठोर प्रयासों और सभी पणधारियों, जिसमें केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों, राज्य आयोगों, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों और गैर–सरकारी संगठन भी सम्मिलित है, के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से संभव हुआ ।

आइए विद्युत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के कार्य को एक साथ जारी रखें।

आपका

(ए.के.बसु)
अध्यक्ष

विषय सूची

1.	आयोग का संक्षिप्त विवरण	1
2.	आयोग के अधिदेश	3
3.	आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	5
4.	आयोग का मानव संसाधन	15
5.	पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन	17
	(क) केंद्रीय सलाहकार समिति	17
	(ख) समझौता ज्ञापन/द्विपक्षीय करार	18
	(ग) अधिसूचनाएं	20
	(घ) संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण /आदान-प्रदान कार्यक्रम	20
	(ड.) याचिकाएं	21
	(च) महत्वपूर्ण आदेश और विनियम	21
6.	वार्षिक लेखा विवरण	51
7.	'वर्ष 2003-04 के लिए कार्यसूची	53
8.	उपाबंध	55
	उपाबंध - 1 - संगठन चार्ट	57
	उपाबंध - 2 - ई-मेल आई.डी. और दूरभाष संख्या	58
	उपाबंध - 3 - भारत के बाहर संगोष्ठियां/सम्मेलन/विनिमय कार्यक्रम	60
	उपाबंध - 4 - भारत में संगोष्ठियां/सम्मेलन/विनिमय कार्यक्रम	61
	उपाबंध - 5 - याचिकाएं की प्रास्थिति	62
	उपाबंध - 6 - एन. टी. पी. सी. ऊर्जा केन्द्रों का अवस्थितिक मानचित्र	74
	उपाबंध - 7 - एन. एच. पी. सी. ऊर्जा केन्द्रों का अवस्थितिक मानचित्र	75
	उपाबंध - 8 - निपको ऊर्जा केन्द्रों का अवस्थितिक मानचित्र	76
	उपाबंध - 9 - पावर ग्रिड का अंतर-राज्यिक पारेषण नेटवर्क	77

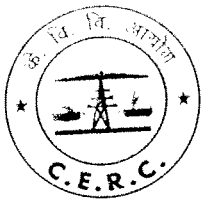
केन्द्रीय विद्युत आयोग
C.E.R.C.

हमारा कार्यलक्ष्य (मिशन)

आयोग का आशय थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना, आपूर्ति की क्वालिटी में सुधार करना, निवेश को बढ़ाना और मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने हेतु संस्थागत अवरोधों को समाप्त करने के लिए सरकार को सलाह देना तथा इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में आयोग का लक्ष्य --

- भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) के माध्यम से क्षेत्रीय पारे ाण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबन्धन में सुधार करना।

- एक कारगर टैरिफ निर्धारण तंत्र को तैयार करना जिससे टैरिफ याचिकाओं का शीघ्रता से और समयबद्ध रूप में निपटान सुनिश्चित होगा और थोक विद्युत और पारे ाण सेवाओं की कीमत के संबंध में प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।

- अंतर-राज्यिक पारे ाण में खुली पहुंच को सुकर बनाना।

- अंतर-राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।

- ऊर्जा क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देना।

- सभी पणधारियों (स्टाक होल्डरों) को जानकारी देने में सुधार करना।

- थोक विद्युत और पारे ाण सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बाजारों के विकास के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों को सुकर बनाना।

- प्रतिस्पर्धी बाजारों के सृजन के लिए प्रथम चरण के रूप में, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमाओं के भीतर पूंजी और प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास के अवरोधों को हटाने के संबंध में सलाह देना है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ नियतन की शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जैसे अंतर-राज्यिक पारेषण, अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति में संशोधन करने, उसे निलंबित और प्रत्याहृत करने की शक्तियां, अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निष्पादन मानक बनाकर और उनका पालन सुनिश्चित करते हुए विनियमित करने की शक्तियां, आदि ।

आयोग के अधिदेश

जैसा विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा न्यस्त है आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :--

आज्ञापक कृत्य :

- केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना ;
- खंड (क) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों से भिन्न उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना, यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य सें अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में प्रवेश करती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है ;
- विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को विनियमित करना ;
- विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना ;
- किसी भी व्यक्ति को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर-राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना ;
- उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संबंधित विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा माध्यस्थम् के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना ;
- अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उद्गृहीत करना ;

- ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना ;

- अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना ;

- विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार व्यय मार्जिन नियत करना ;

- ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं ।

सलाहकारी कृत्य :

- राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति का बनाना ;

- विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता का संवर्धन करना ;

- विद्युत उद्योग में विनिधान का समर्थन ; और

- केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय ।

आयोग के अध्यक्ष
और
सदस्यों का
संक्षिप्त विवरण

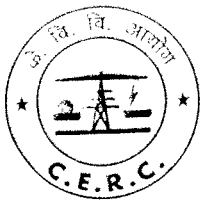
केन्द्रीय विद्युत आयोग
C.E.R.C.

श्री ए.के. बसु

अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक

(अप्रैल, 2002 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री ए.के. बसु इस समय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं ।

श्री बसु का एक प्रतिभावन शैक्षणिक कैरियर रहा है । उन्होंने 1958 में विद्यालय अंतिम (मैट्रिकुलेशन) परीक्षा, पश्चिमी बंगाल से उत्तीर्ण की जिसमें उनका स्थान सभी छात्रों की योग्यताक्रम में प्रथम था । उन्होंने सन् 1962 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कालेज से बी.ए. (अर्थशास्त्र में आनर्स) की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की ।

उन्होंने 1965 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदभार ग्रहण किया और उन्हें पश्चिमी बंगाल काडर आबंटित किया गया । उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार में, कलकत्ता नगर निगम के आयुक्त, शिक्षा सचिव, श्रम सचिव और प्रधान सचिव जैसे अनेक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया । वे 1983 से 1987 तक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे ।

श्री बसु ने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है । वे 1976-77 के दौरान गृह मंत्रालय में उप सचिव रहे । उन्होंने 1977 से 1980 के दौरान, संघ के शिक्षा सामाजिक कल्याण और संस्कृति मंत्री के विशेष सहायक के रूप में कार्य किया । वे 1996-97 के दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव रहे ।

श्री बसु उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों के साथ बहुत लम्बे समय से जुड़े हुए हैं । वे 1988 से 1993 के दौरान, विकास आयुक्त (लौह और इस्पात) रहे और उसके पश्चात्, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे । उन्होंने 1995-96 के दौरान संघ के योजना आयोग में भारत सरकार के लगभग बीस आर्थिक और अवसंरचना मंत्रालयों की योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में अपर सचिव और सलाहकार (उद्योग और

खनिज) के रूप में कार्य किया । वे अगस्त 1997 से 2000 तक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव रहे । श्री बसु ने जून, 2000 से 31 मार्च, 2002 तक ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव के रूप में कार्य किया । इस अवधि के दौरान, उन्होंने भारतीय विद्युत क्षेत्र में सुधार करने और उसकी पुर्नसंरचना करने के लिए एक महत्वपूर्ण पथप्रदर्शक का काम किया जिसमें त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम के माध्यम से वितरण सुधार करना, विद्युत विधेयक, 2003 को तैयार करना, केन्द्रीय उपयोगिताओं के देयों का एक समय पर निपटान करना, हाइड्रो परियोजनाओं के लिए अध्ययन आरंभ करना, ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंध, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पुनःसंरचना कार्यक्रम तैयार करना भी शामिल हैं ।

श्री बसु को अप्रैल, 2002 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । यह एक कानूनी पद है जिसे विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन सृजित किया गया ।

उन्होंने शासकीय कारबार के संबंध में, व्यापक रूप से भारत और विदेश में यात्राएं की हैं ।

श्री के.एन. सिन्हा

सदस्य

(मई, 2001 से पदभार ग्रहण किए हुए है)

श्री के.एन. सिन्हा ने 11 मई, 2001 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया । आयोग में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री सिन्हा सदस्य (योजना), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव थे ।

उन्होंने 1962 में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की । स्नातक के ठीक बाद, श्री सिन्हा ने, तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक अभियन्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा उन्हें रामगंगा बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना की इंजीनियरी एवं अभिकल्प का कार्य सौंपा गया । उन्होंने 1964 में केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा में कार्य भार ग्रहण किया । अपनी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करने के लिए श्री सिन्हा शिक्षा से जुड़े रहे और उन्होंने 1989 में, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की तथा 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया । 1980 में, उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण बिजली सहकारी संघ, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरीका में तापीय विद्युत केंद्रों का प्रबंधन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी बेसिक आधुनिक प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए यू.एन. अध्येतावृत्ति प्रदान की गई ।

श्री सिन्हा ने, देश के विद्युत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । अपने कैरियर के शुरूआती दिनों में, उन्होंने मणिपुर सरकार में कार्यपालक अभियंता के रूप में देश के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं से "स्पाट बिलिंग" तथा "घर से ही नकद राशि एकत्र" करने से संबंधित अवधारणा लागू की थी । 13वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण समिति के सदस्य सचिव और 16वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 13वीं तथा 16वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण रिपोर्टें निकालीं । ये दोनों ही रिपोर्टें लीक से हट कर थी जिसमें नई

अवधारणाएं तथा दृष्टिकोण दिए गए थे और विद्युत ऊर्जा की मांग से संबंधित बहुत ही उपयोगी तथा यथार्थ प्रक्षेपण किए गए थे । वे विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता आमंत्रित करने हेतु तकनीकी-वित्तीय विधान की रूपरेखा बनाने के लिए उत्तरदायी समूह के सदस्य रहे । सदस्य (योजना), के.वि.प्रा. के पद पर रहते हुए, उन्होंने दो ऐतिहासिक दस्तावेजों -- "द फ्यूल मेप आफ इंडिया" और "पावर आन डिमाण्ड बाई 2012" को अंतिम रूप दिया । ये दोनों ही दस्तावेज 2012 तक के समय में देश में विद्युत योजना बनाने के लिए आधार स्तंभ बन गए हैं । श्री सिन्हा ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रणाली तथा प्रकाशनों के क्रम को समाविष्ट/उनकी पुनः डिजाइन की है । उन्होंने विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के केन्द्रीय टैरिफ प्रस्तावों की समीक्षा एवं संवीक्षा की प्रक्रिया, कार्य पद्धति तथा ढ़ांचे को तैयार किया है । वे भारत-नेपाल विद्युत विनिमय समिति के सह-अध्यक्ष रहे हैं । यह समिति भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय विद्युत विनिमय के टैरिफ प्रभारों से संबंधित है । उन्होंने विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक सांविधिक कार्य-परियोजना मूल्यांकन और विद्युत योजनाओं को तकनीकी-आर्थिक क्लीयरेंस देने की पद्धति को सुचारू रूप प्रदान किया । वे परियोजना मूल्यांकन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और फर्म फाइनैंशियल पैकेज एप्रेजल संबंधी स्थायी समिति के सह-अध्यक्ष रहे ।

श्री भानु भूषण

सदस्य

(फरवरी, 2004 से कार्यभार ग्रहण किए हुए है)

श्री भानु भूषण ने 4 फरवरी, 2004 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया । उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी (आनर्स) डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1966 में स्नातक करते ही रेनूसागर पावर कंपनी लिमिटेड, केंद्रीय जल और ऊर्जा आयोग, भारतीय ऊर्जा परियोजना परिसंघ, भारत हैवी इलैक्टिकल्स लिमिटेड, डेजइन (नई दिल्ली) प्रा.लि., नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कार्य किया ।

अपने लंबे कैरियर में श्री भूषण ने थर्मल और संयुक्त साइकल ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन का विशेष अध्ययन किया और भारत में अधिकांश प्रशस्त ऊर्जा संयंत्रों की इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इन संयंत्रों ने, किसी भी प्रकार की डिजाइन से संबंधित समस्याओं के बिना कम से कम तकनीकी बातों में उनकी व्यक्तिगत अंतर्ग्रस्तता के कारण उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन किया ।

उन्होंने 1991 में पी जी सी आई एल में इसके प्रारंभ से कार्यभार ग्रहण किया और 1997 में उन्होंने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पित कार्य के कारण इसके निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार ग्रहण किया । उनके उत्तरदायित्वों में पीजीसीआईएल का देशव्यापी ई एच वी नेटवर्क (99% से अधिक की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए) के ओ एंड एम व्ययों का पर्यवेक्षण और पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों का प्रचालन करना सम्मिलित है । वे उपलब्धता आधारित टैरिफ के संबंध में, अभिस्वीकृत प्राधिकारी हैं और फ्रिक्वेंसी लिंक्ड भार प्रेषण और अनुसूचित विनियम के लिए टैरिफ तथा रिएक्टिव ऊर्जा की वोल्टता-लिंक्ड कीमत की विचारधारा के प्रजनक हैं। इनको ग्रिड पैरामीटरों में सुधार करने, मैरिट आदेश के अनुसार उत्पादन को समर्थ बनाने तथा ऊर्जा व्यापार के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए 2002-2003 के दौरान भारत में विश्व बैंक द्वारा आरंभ किया गया तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया तथा अंतर-राज्यिक स्तर पर कार्यान्वित किया गया ।

उन्होंने भारतीय विद्युत ग्रिड कोड से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं और अंतर-उपयोगिता आदान-प्रदान के लिए विशेष ऊर्जा मीटरों के स्वदेशी अभिवर्धन को विनिर्दिष्ट किया और उनका मार्गदर्शन किया ।

उन्होंने 1993-94 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसीसी द्वारा थोक ऊर्जा टैरिफ संबंधी एडीबी वित्तपोषित अध्ययन का समन्वय किया । वे संकर गुरूस्वामी समिति के सदस्य-सचिव थे और विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998, जिसमें पारेषण को एक पृथक् क्रियाकलाप के रूप में मान्यता दी गई, को अंतिम रूप देने में अंतर्वलित थे । उन्होंने उस सी बी आई पी समिति की अध्यक्षता भी की जिसने ईएचवी संरक्षण संबंधी सिफारिशों को विरचित किया । वे आई ई ई ई के ज्येष्ठ सदस्य हैं तथा सी आई जी आर ई और उसकी अध्ययन समिति के सदस्य हैं । ऊर्जा प्रणाली के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्होंने 1996 के लिए सी बी आई पी डायमंड जुबली पी एम आहलूवालिया पुरस्कार प्राप्त किया । उन्होंने अनेक तकनीकी लेख लिखे हैं और एकीकृत ग्रिड प्रचालन, उनके समाधान, अंतर-उपयोगिता टैरिफ, ऊर्जा क्षेत्र सुधार, आदि की समस्याओं पर असंख्य व्याख्यान दिए हैं ।

श्री एच.एल. बजाज

अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और पदेन-सदस्य
(जुलाई, 2002 से पदभार ग्रहण किए हुए है)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एच.एल. बजाज जुलाई, 2002 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (पदेन) हैं । उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंड़ीगढ़ से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और ऊर्जा प्रणाली में स्नातकोत्तर किया ।

उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है । 1970 से पहले, उन्होंने संपूर्ण हरियाणा राज्य में विद्युतीकरण किया । भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में अपनी 14 वर्षों की सेवा में उन्होंने भारत में विदेशी परियोजनाओं के लिए विद्युत उपकेंद्र और विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की रूपरेखा तैयार की और उनकी डिजाइन तैयार की । उन्होंने एन.टी.पी.सी. के कारपोरेट कार्यालय के संविदा प्रबंध विभाग में विभिन्न पदों, जिसमें थोड़े समय के लिए महाप्रबंधक (परामर्शी) का पद भी है, पर भी कार्य किया । श्री बजाज सुपर थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं के लिए उत्तरदायी हैं । एन.टी.पी.सी. के साथ उनका 15 वर्षों का अनुभव बहुत ही रोमांचक रहा है, जहां उन्होंने 10,000 मेगावाट से अधिक के कोयला और गैस आधारित केंद्रों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

एन.टी.पी.सी. के पश्चिमी क्षेत्र, जो कि एन.टी.पी.सी. का अधिकांशतः एक तिहाई है, के प्रधान के रूप में, प्रतिवर्ष बिलियन डालर का कारबार करने में अपना योगदान दिया तथा कार्यकरण में आमूल परिवर्तन किया जिसके फलस्वरूप सभी पांच ऊर्जा केंद्रों की दक्षता स्तर और आई.एस. और प्रमाणन में वृद्धि हुई । अपनी पदावधि के दौरान, इस क्षेत्र के कर्मचारियों ने, प्रधानमंत्री से उच्च प्रतिष्ठा वाला श्रमवीर और श्रमरत्न पुरस्कार प्राप्त किया । उन्होंने एन.टी.पी.सी के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्य किया ।

श्री बजाज ने जुलाई, 2002 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन-सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया । भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय होने के कारण, ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, संपूर्ण भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की उत्पादन क्षमता और पारेषण प्रणाली की योजना बनाने के लिए एक नोडल अभिकरण है । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण हाइड्रो और थर्मल ऊर्जा के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाता है और ऊर्जा क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका भी अदा करता है ।

श्री बजाज परमाणु ऊर्जा कारपोरेशन बोर्ड के निदेशक और इलैक्ट्रो टेक्निकल डिविजन काउंसिल (आई.टी.डी.सी.), भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं ।

इंजीनियरिंग सोसाइटी, आई.ई.ई (यू.एस.ए.) द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री बजाज ने ऊर्जा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए तीसरा मिलिनियम पुरस्कार, इंस्टिटयूट आफ इलैक्ट्रीकल इंजीनियर्स, यू.के. (आई.ई.ई.) द्वारा उत्कृष्ट इंजीनियर 2001 पुरस्कार, इंस्टिटयूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा श्रेष्ठ इंजीनियर पुरस्कार, 2002, वर्ष 2001 का सर्वोच्च कारपोरेट प्रबंधक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पी.ई.सी.ओ.बी.ए. पुरस्कार, 2001 प्राप्त किए । श्री बजाज इंस्टियूटशन आफ इलैक्ट्रीकल इंजीनियर्स (आई ई ई) यू के के अध्येयता और चार्टर्ड इलैक्ट्रीकल इंजीनियर इंस्टियूटशन आफ इंजीनियर्स, इंडिया के अधिसदस्य और आल इंडिया मैनेजमेंट एसोशिएशन के अधिसदस्य हैं । श्री बजाज नेताजी सुभाष इंस्टियूट आफ टेक्नोलाजी (तत्कालीन डी आई टी) के शासी निकाय के सदस्य हैं और ओम प्रकाश भसीन फाउंडेशन आफ दिल्ली के पुरस्कार बोर्ड के सदस्य हैं ।

ऊर्जा और सहबद्ध विषय संबंधी विभिन्न मंचों पर आमंत्रित वक्ता के रूप में श्री बजाज ने ऊर्जा और संविदा प्रबंध पर असंख्य लेख भी लिखे हैं ।

आयोग का मानव संसाधन

अधिनियम के अधीन आयोग के बहुत व्यापक दायित्व हैं । आयोग के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की कार्यकुशलता इंजीनियरिंग, आर्थिक, वित्तीय प्रबंधन, लेखाकंन, विधि, पर्यावरण, सूचना प्रबंधन प्रणाली और अन्य संबद्ध कार्य-क्षेत्रों में समुचित विशेषज्ञता और अनुभव वाले इसके कर्मचारियों की दक्षता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है । आयोग के प्रमुख मानव संसाधन की सूची उपाबंध - 1 तथा उपाबंध - 2 में दी गई है । इसके अतिरिक्त, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध मानव संसाधन और उनकी व्यापक सुविज्ञता और अनुभव का भी उपयोग करना चाहता है । इन-हाउस कुशलता और अनुभव में संवृद्धि करने के लिए आयोग परामर्शदाओं की सेवा लेता है और इस प्रयोजन के लिए, इसने विनियम बनाए हैं । आयोग में कर्मचारिवृंद की स्थिति का ब्यौरा नीचे सारणी -1 में दिया है :

सारणी - 1

31 मार्च, 2004 के अनुसार आयोग में स्वीकृत/भरे हुए/रिक्त पद

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	-
2.	प्रमुख	4	3	1
3.	संयुक्त प्रमुख	2	2	-
4.	उप प्रमुख	8	4	4
5.	सहायक प्रमुख	8	6	2
6.	न्यायपीठ अधिकारी	2	2	
7.	सहायक सचिव (पी. एण्ड ए.)	1	1	-
8.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1	-
9.	प्रधान निजी सचिव	4	4	-
10.	निजी सचिव	5	4	1

11.	सहायक	5	5	-
12.	वैयक्तिक सहायक	7	4	3
13.	आशुलिपिक	4	3	1
14.	स्वागती-सह-दूरभाष आपरेटर	1	1	-
15.	वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	2	-	2
16.	चपरासी	4	2	2
17.	ड्राईवर	4	4	-
	योग	63	47	16

■ वर्ष 2003-04 के दौरान भर्ती की प्रास्थिति

सारणी - 2

वर्ष 2003-04 के दौरान भर्ती

क्रम सं.	पद का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1.	न्यायपीठ अधिकारी	1
2.	प्रधान निजी सचिव	1
3.	निजी सचिव	3
4.	सहायक	4
	कुल	9

पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन

(I) केंद्रीय सलाहकार समिति (सी ए सी)

नीति निर्माण, अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं के साथ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता की निरंतरता और क्वालिटी, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा ऊर्जा की आपूर्ति तथा उपयोगिताओं द्वारा कार्य-निष्पादन के समग्र मानकों के संबंध में सलाह देने के लिए आयोग ने केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और ऊर्जा क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । केंद्रीय सलाहकार समिति की संरचना निम्नलिखित रूप में है :-

1. श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एन.एच.पी.सी., फरीदाबाद ;
2. श्री सी.पी. जैन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एन.टी.पी.सी., नई दिल्ली ;
3. श्री आर.पी. सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पी.जी.सी.आई.एल., नई दिल्ली ;
4. डा. डी.वी. कपूर, अध्यक्ष रिलायंस पावर लि., नई दिल्ली ;
5. श्री एफ.ए. बंदरेवाला, प्रबंध निदेशक, टाटा पावर कंपनी लि., मुंबई ;
6. श्री वी. रघुरमन, वरिष्ठ सलाहकार (उर्जा), सीटू गुड़गांव ;
7. डा. अमित मित्रा, महासचिव, फिक्की, नई दिल्ली ;
8. श्री जय प्रकाश गौड़, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जय प्रकाश इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ;
9. श्री रवि मोहन, प्रबंध निदेशक, सी.आर.आई.एस.आई.एल. मुंबई ;
10. श्री पी.पी. वोरा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आई डी बी आई, मुंबई ;
11. श्री के. रामनाथन, वरिष्ठ ज्येष्ठ अध्येता, टी.ई.आर.आई., नई दिल्ली ;
12. श्री सुमन कुमार वेरी, महानिदेशक एन.सी.ए.ई.आर., नई दिल्ली ;
13. श्री टी.एल. शंकर, सलाहकार, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद ;
14. प्रोफेसर बादल मुखर्जी, दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स, दिल्ली ;
15. श्री वी. रंगनाथन, आई.आई.एम., बंगलौर ;
16. श्री दीपक पारिख, अध्यक्ष एच.एफ.डी.सी., मुंबई ;
17. श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य (इलैक्ट्रीकल), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ;
18. श्री के. गननदेसिकन, अध्यक्ष टी.एन.ई.वी., चेन्नई ;
19. श्री डी.सी. सामंत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आर.आर.वी.पी.एन.एल., जयपुर ;
20. श्री गिरीश संत, प्रयास, पुणे ;

21. श्री के.सी. नायकवाडी, अध्यक्ष, आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, बंगलौर ;
22. श्री अनिल डी. अंबानी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिलायंस ऊर्जा लि., मुंबई ;
23. श्री संजय मित्रा, अध्यक्ष, डब्ल्यू.बी.एस.ई.वी., कोलकाता ;
24. श्री नसीर मुन्जी, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आई.डी.एफ.सी., मुंबई ;

18 जुलाई 2003 को हुई केंद्रीय सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक

केंद्रीय सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक में आयोग ने, 1.4.2004 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों पर विचार-विमर्श दस्तावेज का ब्यौरा सदस्यों को दिया और विचार-विमर्श पत्र में चर्चा की गई विभिन्न मुद्दों पर उनकी सलाह मांगी ।

(II) समझौता ज्ञापन/द्विपक्षीय करार

(क) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) तथा मेसाचुसेट्स डिपार्टमेंट आफ टेलिकम्यूनिकेशन्स एंड एनर्जी (एम.डी.टी.ई.) के बीच समझौता ज्ञापन

(ख) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और यू.एस. एनर्जी एसोसिएशन (यू.एस.ई.ए.) के बीच समझौता ज्ञापन

(ग) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और फेडरल इनर्जी रेग्युलेटरी कमीशन (एफ.ई.आर.सी.) के बीच समझौता ज्ञापन

सी.ई.आर.सी., एम.डी.टी.ई. और एफ.ई.आर.सी. इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम (आई.ई.पी.पी.) में भागीदार बनने पर सहमत हो गए हैं। यू.एस.ई.ए. ने यू.एस.ए.आई.डी. आफिस आफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड टेक्नालाजी के साथ एकगहकारी करार किया है जिसके अनुसार, यू.एस.ई.ए. इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम (आई.ई.पी.पी.) आयोजित करने और उसे क्रियान्वित करने पर सहमत हो गया है। इंडियन एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम एफ.ई.आर.सी. और सी.ई.आर.सी. तथा एम.डी.टी.ई. और सी.ई.आर.सी. के बीच सूचनाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान के आपसी महत्व को समझता है। आई.ई.पी.पी. को एफ.ई.आर.सी. और सी.ई.आर.सी. तथा एम.डी.टी.ई. और सी.ई.आर.सी. में अनुभवों और सूचनाओं को प्रभावी और कुशल तरीके से आपसी आदान-प्रदान करने तथा भागीदारों के बीच दीर्घकालिक स्थायी संबंध दृढ़ बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। इसमें विनियामक प्रचालनों और प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं जैसे प्रबंध, पुनर्गठन, वित्त और लेखांकन, स्वतंत्र विद्युत विपणन, ग्राहक सेवा, बिजली का थोक संव्यवहार, दूर संचार, नीतिगत योजनाएं और सुविज्ञता प्राप्त अन्य आवश्यक क्षेत्रों से संबंधित पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

आदान-प्रदान दौरा, 27 और 28 अगस्त, 2003 : डेलिगेशन एफ.ई.आर.सी., यू.एस.ए.

(III) वर्ष के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

आयोग द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गईः

सारणी-3

अधिसूचनाएं

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	विषय
1.	46 तारीख 9.4.2003	के.वि.वि.आ. की केंद्रीय सलाहकार समिति में संशोधन
2.	47 तारीख 9.4.2003	31.3.2002 के बाद 6 मास की और अवधि के लिए, अर्थात् 30.9.2003 तक प्रभारों की बिलिंग का विस्तारण ।
3.	65 तारीख 1.5.2003	के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 का संशोधन
4.	87 तारीख 2.6.2003	के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003
5.	88 तारीख 2.6.2003	के.वि.वि.आ. (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2003
6.	112 तारीख 14.7.2003	सी ए सी में नए सदस्यों का प्रवेश
7.	167 तारीख 21.10.2003	30.9.2003 के बाद 6 मास की और अवधि के लिए अर्थात् 31.3.2004 तक प्रभारों की बिलिंग का विस्तारण
8.	27 तारीख 6.2.2004	के.वि.वि.आ. (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004
9.	28 तारीख 6.2.2004	के.वि.वि.आ. (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004
10.	68 तारीख 29.3.2004	के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004

उपरोक्त अधिसूचनाएं राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुई ।

(IV) संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण /आदान-प्रदान कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारिवृंद द्वारा जिन संगोष्ठियों/सम्मेलनों/ प्रशिक्षण/संयंत्र दौरा विनिमय कार्यक्रमों में भाग लिया गया उनका ब्यौरा उपाबंध 3 और उपाबंध 4 में दिया गया है ।

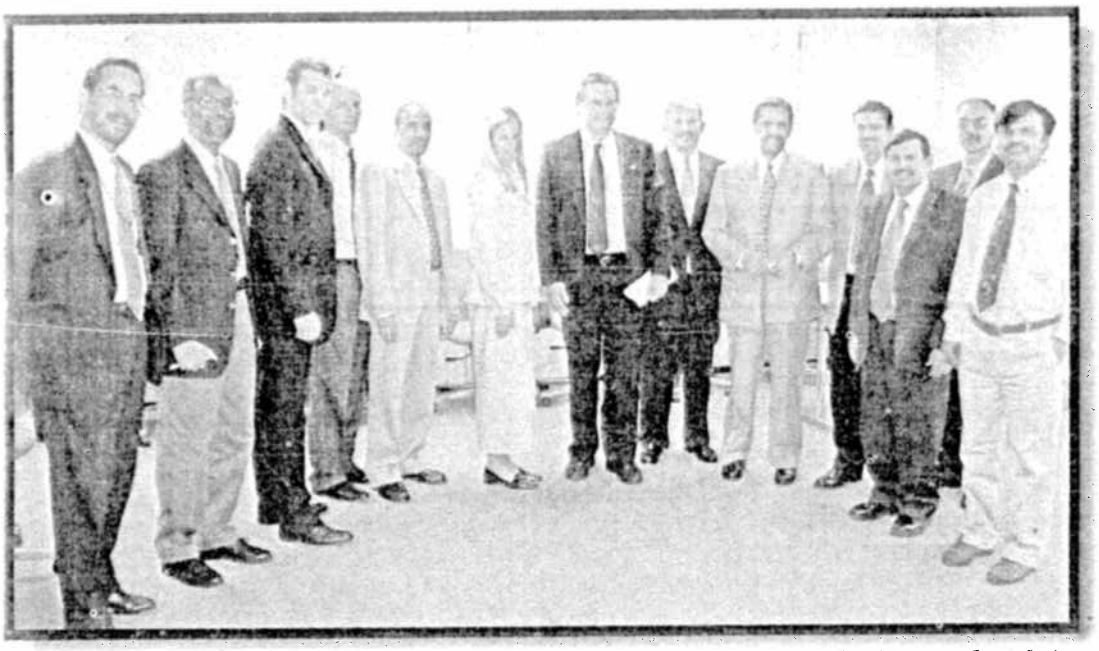

अगस्त, 2003 में आदान-प्रदान दौरा - एफ.ई.आर.सी., यू.एस.ए. के लिए सी ई आर सी डेलिगेशन

(V) वर्ष के दौरान याचिकाएं

वर्ष 2003-04 के दौरान, आयोग ने 280 याचिकाओं पर कार्रवाई की जिसमें से 159 याचिकाएं पिछले वर्ष से लंबित थी और 121 याचिकाएं वर्ष 2003-04 के दौरान फाइल की गई । कुल याचिकाओं में से 155 याचिकाओं का 2003-04 के दौरान निपटान किया गया था । याचिकाओं का ब्यौरा उपबंध 5 में प्रलेखित है ।

(VI) 2003-04 के दौरान महत्वपूर्ण आदेश और विनियम

(क) अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच

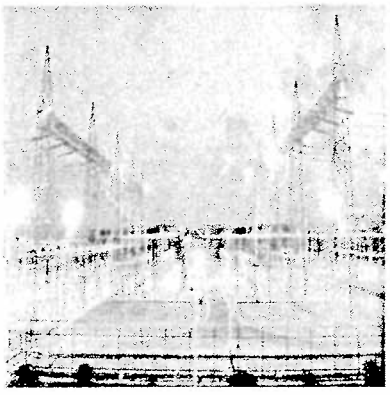

विद्युत अधिनियम, 2003 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को पारेषण कीमत और अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच को विनियमित करने के लिए निबंधन और शर्तें विनियम विनिर्दिष्ट करने का कार्य सौंपा गया है । आयोग ने अगस्त, 2003 में संकल्पना दस्तावेज जारी किया था और अक्तूबर, 2003 में दो दिन की सार्वजनिक सुनवाई की गई थी । आयोग ने 2-12-2003 को अपनी वेबसाइट पर डाले गए प्रारूप विनियम के प्रत्युत्तर में विभिन्न पणधारियों से प्राप्त अनेक सुझावों और टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली

पहुंच प्रदान करने के लिए 30 जनवरी, 2004 को विनियम जारी किया ।

खुली पहुंच विनियम भारतीय विद्युत प्रदाय के इतिहास में एक नए अध्याय की घोषणा से प्रवृत्त हुआ जिससे उत्पादन कंपनियां, वितरण कंपनियां, विद्युत व्यापारी और कैप्टिव संयंत्र के स्वामी चक्रण विद्युत के लिए संपूर्ण भारत में अन्तर-राज्यिक प्रणाली में पहुंच प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । पारेषण में खुली पहुंच ऊर्जा प्रदाय उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए है । उपभोक्ता जैसे ही राज्य आयोगों से अनुज्ञा प्राप्त कर लेंगे वैसे ही वे खुली पहुंच प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे ।

अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच संबंधी अंतिम विनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित है :--

- पारेषण ग्राहकों को दो प्रवर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात् दीर्घकालिक ग्राहक और अल्पकालिक ग्राहक ।

- दीर्घकालिक ग्राहक 25 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए पारेषण सेवा प्रदाता के साथ थोक ऊर्जा पारेषण करार कर सकते हैं ।

- दीर्घकालिक ग्राहक के पास अपने पारेषण अधिकार और बाध्यताओं को, आयोग के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्रतिकर के संदाय के अधीन रहते हुए, जो आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, परित्यक्त करने या अंतरण करने का विकल्प है ।

- दीर्घकालिक ग्राहकों से भिन्न पारेषण ग्राहक अल्पकालिक ग्राहक हैं । अल्पकालिक पहुंच की अधिकतम अवधि, विकल्प के पुनःलागू करने के साथ, एक वर्ष होगी ।

- दीर्घकालिक ग्राहक को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में अनुबद्ध पारेषण योजना मानदंड के आधार पर पहुंच अनुज्ञात की गई है । अल्पकालिक ग्राहक को पारेषण प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार है।

- अल्पकालिक ग्राहक के लिए पहुंच पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अधीन रहते हुए तब अनुज्ञात की जाती है यदि ऊर्जा प्रवाह में अन्तर के कारण निहित डिजाइन मार्जिन, उपलब्ध मार्जिन और इन-बिल्ट अतिरिक्त क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन का उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है ।

- दीर्घकालिक ग्राहकों की आबंटन पूर्विकता उन अल्पकालिक ग्राहकों से उच्चतर है ।

- यदि अल्पकालिक ग्राहक द्वारा मांगा गया पारेषण क्षमता का आरक्षण एक समय बिन्दु पर एक विशिष्ट पारेषण कारीडोर में उपलब्धता से अधिक है तो संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र बोली आमंत्रित करता है ।

बोली की न्यूनतम कीमत विनियम में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार होती है । बोली आधारित आरक्षण 90 दिन के पश्चात् आरंभ होता है ।

अल्पकालिक ग्राहक के लिए न्यूनतम कीमत दीर्घकालिक ग्राहक के प्रभार्य से लगभग 1/4 दर है ।

प्रत्येक पारेषण सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम कीमत वेबसाइट पर प्रति मेगावाट प्रतिदिन रुपए में प्रदर्शित की जाती है ।

अल्पकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय न्यूनतम पारेषण प्रभार एक दिन के लिए होते हैं और उसके पश्चात् संपूर्ण दिनों के गुणज में होते हैं ।

आयोग दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा अधिशेष क्षमता की घोषणा को प्रोत्साहित करता है जिससे कि क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के परिणामस्वरूप दीर्षकालिक ग्राहकों द्वारा अनुप्रयुक्त क्षमता का उपयोग किया जा सके । इस प्रयोजन के लिए, वार्षिक पारेषण प्रभार अवधारित किए जाते हैं और समुचित आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अल्पकालिक ग्राहक से समायोजनीय राजस्व में कटौती करने के पश्चात् दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा बांटे जाते हैं ।

क्षेत्रीय प्रेषण केन्द्र 45 दिन के भीतर पारेषण क्षमता के आरक्षण के लिए, जिसमें अल्पकालिक ग्राहकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया भी सम्मिलित है, ब्यौरेवार प्रक्रिया संयुक्त रूप से बनाते हैं ।

प्रवर्ग के भीतर खुली पहुंच ग्राहक और राज्य विद्युत बोर्ड जैसी स्व-उपयोग करने वाली एकीकृत इकाई के बीच कोई विभेद नहीं किया जाता है ।

दीर्घकालिक पहुंच की व्यवस्था करने के लिए नोडल अभिकरण केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (पावर ग्रिड) है, यदि उसकी प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो अन्यथा नोडल अभिकरण वह पारेषण सेवा प्रदाता होगा जिसकी प्रणाली में निकासी बिन्दु अवस्थित है ।

अल्पकालिक पहुंच के लिए नोडल अभिकरण उस क्षेत्र का प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र है जहां विद्युत का निकासी बिन्दु अवस्थित है ।

दीर्घकालिक ग्राहक के लिए आवेदन फीस 1.0 लाख रुपए है और अल्पकालिक ग्राहकों के लिए आवेदन फीस 5000 रुपए होगी ।

अल्पकालिक ग्राहक के लिए पारेषण क्षमता आरक्षण अन्तरणीय है ।

यदि अल्पकालिक ग्राहक द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र आरक्षण को रद्द कर सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे । तथापि, ऐसा ग्राहक मूल आरक्षण के अनुसार पूर्ण पारेषण और अनुसूचित प्रभार का वहन करता है ।

विद्यमान फायदाग्राहियों से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से फर्म आवंटन किया गया है, को क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इन विनियमों के अनुसार पारेषण पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु 60 दिन का नोटिस दिया जाता है । पारेषण प्रभार प्रत्येक प्रादेशिक प्रणाली, अन्तर-राज्यिक लिंक और अन्य पारेषण प्रणाली, जिसमें राज्य पारेषण उपयोगिता या राज्य विद्युत बोर्ड भी सम्मिलित है, के संबंध में, पोस्टेज स्टांप के आधार पर लागू होंगे ।

अल्पकालिक ग्राहकों द्वारा संदत्त प्रभारों में से 25% पारेषण सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिधारित किया जाता है और अतिशेष का उपयोग दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती के लिए किया जाता है ।

पारेषण पहुंच के लिए सभी आवेदनों पर आयोग द्वारा विनियम में विनिर्दिष्ट विहित समय-सारणी के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

अप्रत्याशित पारेषण अवरोधों की दशा में, पहले अल्पकालिक ग्राहकों में कमी की जाती है और उसके पश्चात् दीर्घकालिक ग्राहकों में कमी की जाती है ।

खुली पहुंच को सुकर बनाने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक शर्तों को केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा 60 दिन के भीतर मानकीकृत किया जाना होता है ।

अल्पकालिक ग्राहक को प्रत्येक प्रादेशिक और संव्यवहार में अन्तर्वलित राज्य भार प्रेषण केन्द्रों को प्रति दिन तीन हजार रुपए की दर से अनुसूचित और प्रणाली प्रचालन प्रभार का संदाय करना होता है ।

निकासी स्थल और व्यादेश स्थल पर अनुसूची और वास्तविक निकासी के बीच किसी भी अन्तर को ग्रिड से पूरा किया जाता है और इसकी कीमत एबीटी के अधीन अन्तर-राज्यिक संव्यवहार को पहले ही लागू फ्रिक्वेंसी लिंक्ड अनुसूचित ऊर्जा अन्तर विनिमय कीमत तंत्र द्वारा शासित होती है ।

पावर ग्रिड नेटवर्क से प्रत्यक्षतः जुड़े सभी ग्राहक विद्यमान स्कीम के अनुसार संगणित रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का संदाय करने के लिए अपेक्षित हैं ।

पावर ग्रिड नेटवर्क से प्रत्यक्षतः जुड़े सभी पारेषण ग्राहकों को रिएक्टिव ऊर्जा के समय अन्तर को मापने और रिएक्टिव ऊर्जा के वोल्टता स्तर को मापने के लिए विशेष ऊर्जा मीटर लगाना अपेक्षित है ।

- सभी उपभोक्ता राज्य भार प्रेषण केन्द्र और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथाप्राक्कलित पारेषण प्रणाली में औसत ऊर्जा हानि का संदाय करते हैं । ऊर्जा हानि वस्तु रूप में समायोजित की जाती है, अर्थात् पारेषण में औसत हानि की प्रतिपूर्ति व्यादेश स्थल पर अतिरिक्त व्यादेश द्वारा पूरी की जाती है ।

- प्रत्येक क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अल्पकालिक ग्राहक के लिए न्यूनतम कीमत, दीर्घकालिक ग्राहकों और अल्पकालिक ग्राहकों की वर्तमान स्थिति, पिछले अल्पकालिक ग्राहकों की सूची, अन्तर-प्रादेशिक लिंक पर ऊर्जा प्रवाह की जानकारी, पावर ग्रिड तथा राज्य प्रणाली के बीच लिंक और अन्तर-राज्यिक लिंक और पिछले सप्ताह/मासों के दौरान औसत ऊर्जा हानियों के बारे में इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली को बनाए रखना अपेक्षित है ।

- अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच के विषय पर विलंब, विभेद और जानकारी के अभाव के बारे में कोई भी शिकायत क्षेत्र के क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के सदस्य सचिव को निदेशित की जाएगी । किसी भी अनिर्णीत समस्या या विवाद को आयोग को निर्दिष्ट किया जाता है ।

खुली पहुंच संव्यवहार : संपूर्ण भारत

(6 मई, 2004 से 30 सितम्बर, 2004 तक)

प्रादेशिक क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	अनुमोदित संव्यवहारों की संख्या			ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
क्षेत्र	अन्तर-क्षेत्रीय	अन्तरा-क्षेत्रीय	कुल	
उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	112	101	213	4734
पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	84	15	99	2945
पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	2	7	9	176
दक्षिणी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	2	2	4	149
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	0	0	0	0
कुल	200	125	325	3004

(ख) 1-4-2004 से 31-3-2009 तक की अवधि के लिए विद्युत टैरिफ हेतु निबंधन और शर्तें

1. विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग उत्पादन और अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा करता है । 1-4-2001 से 31-3-2004 तक की अवधि वाला विद्यमान विनियम 31 मार्च, 2004 को समाप्त हो गया । तद्नुसार केन्द्रीय आयोग ने एक नया विनियम जारी किया जो 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है ।

2. आयोग ने 12 जून, 2003 को टैरिफ के निबंधन और शर्तों पर तैयार परामर्श दस्तावेज को पणधारियों, विशेषज्ञों, विनिधाताओं, राज्य आयोगों, वित्तीय संस्थाओं, आदि की टीका-टिप्पणियों के लिए जारी किया । 10, 11 और 12 नवम्बर, 2003 को सार्वजनिक सुनवाई की गई थी जिसमें सभी पणधारियों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया । इस सुनवाई के निष्कर्ष के आधार पर, आयोग ने जनवरी, 2004 में इसका प्रारूप विनियम और विस्तृत आदेश जारी किया । आयोग ने 9 और 10 मार्च, 2004 को सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से पणधारियों के साथ दूसरी बार परामर्श किया ।

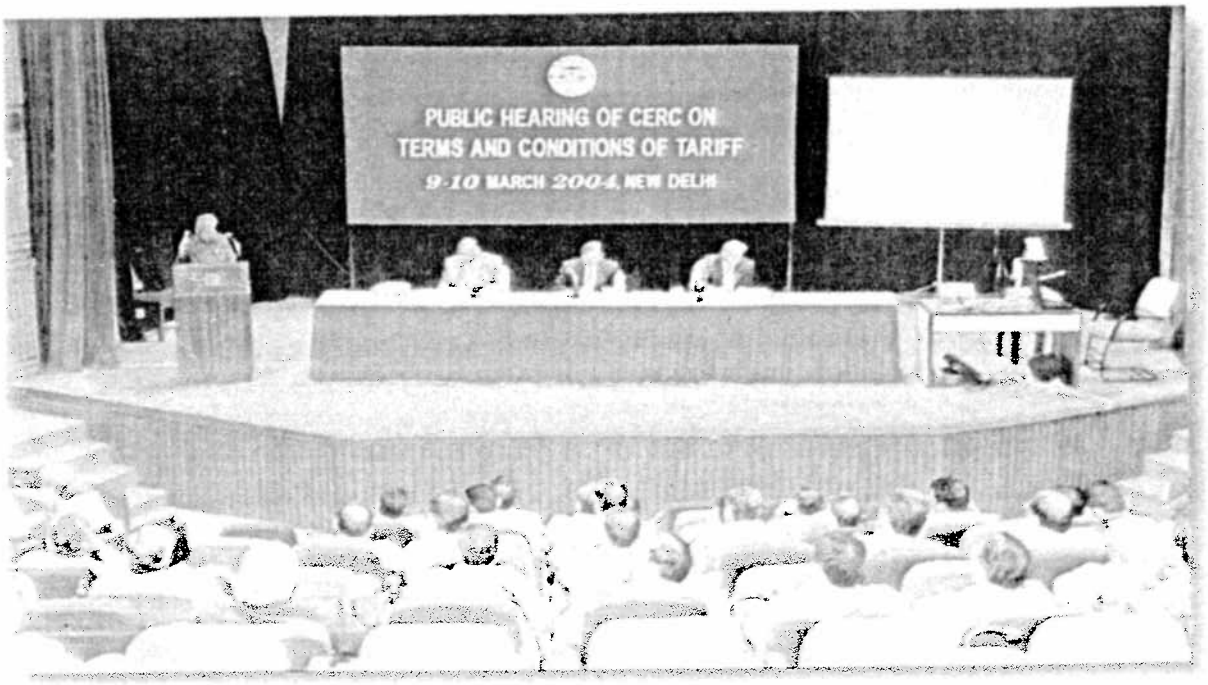

3. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 26 मार्च, 2004 को उत्पादन और अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए निबंधन और शर्तों को समामेलित करते हुए अंतिम विनियम जारी किया । आयोग ने अपने अंतिम विनियम में निम्नलिखित पर जोर दिया :

(i) पब्लिक सेक्टर उपयोगिता और स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों, दोनों द्वारा उत्पादन, पारेषण और वितरण में सभी भावी परियोजनाएं और नए विनिधान टैरिफ आधारित पारदर्शी प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाएंगे जिससे कि बढ़ी हुई आर्थिक दक्षता के फायदे ग्राहकों को दिए जा सकें । इससे विद्यमान "लागत प्लस प्रस्ताव" पर आधारित विस्तृत विनियम की आवश्यकता दूर होगी जो कि अच्छे कार्य निष्पादन के लिए अदक्षता और पहल की कमी को बढ़ावा देती है ।

(ii) प्रतिस्पर्धा बोली व्यवस्था के संक्रमण की अवधि के दौरान यथासाध्य टैरिफ विनियम मानकीय पैरामीटरों पर आधारित सरल विनियम की नई व्यवस्था को " लागत प्लस वास्तविक" प्रस्ताव से दूर रखा जाना चाहिए । इससे दक्ष और कारगार टैरिफ को बढ़ावा मिलेगा । मानकीय पैरामीटरों की वास्तविक लागत से सरल व्यवस्था की विस्तृत संवीक्षा वाले अन्तर्वेधी विनियम में परिवर्तन करना नए विनियम की एक सुस्पष्ट विशेषता है ।

(iii) विनियामक निश्चतता के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ संनियमों को बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने विद्यमान विनियमों, जिसमें तीन वर्ष की अवधि सम्मिलित है, के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2009 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए निबंधन और शर्तें विहित की हैं ।

(iv) अधिनियम यह परिकल्पना करता है कि टैरिफ पैरामीटरों से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करते समय प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग, अच्छे कार्य निष्पादन तथा बेहतर विनिधान को बढ़ावा मिलेगा । विनियम विरचित करते समय इन सभी पैरामीटरों को ध्यान में रखा गया है ।

4. आयोग द्वारा तैयार किए गए टैरिफ के निबंधन और शर्तें सभी अन्तर-राज्यिक उत्पादन और पारेषण उपयोगिताओं, जिसमें एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, निपको, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम और सुसंगत स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक भी सम्मिलित हैं, को लागू होती हैं ।

5. ऐसी परियोजनाओं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार बोली प्रक्रिया पर

आधारित पारदर्शी टैरिफ के माध्यम से शुरू किया गया है, की समीक्षा मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार की जाएगी और बोली प्रक्रिया के माध्यम से तय किया गया टैरिफ आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा । ये विनियम ऐसी परियोजनाओं को लागू नहीं होते हैं ।

6. नए विनियमों के प्रमुख लक्षण

- सभी परियोजनाओं की पूंजी लागत आयोग द्वारा यथास्वीकृत होगी ।
- मानकीय ऋण : ईक्विटी अनुपात 70:30 होगा ।
- ईक्विटी पर रिटर्न केन्द्रीय ऊर्जा सेक्टर उपयोगिताओं और स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के लिए 14% पोस्ट कर होगा ।
- अवक्षयण आयोग द्वारा अधिसूचित दर पर आस्तियों के उचित समय से अधिक अनुज्ञात किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, अवक्षयण के प्रति अग्रिम को भी 10 वर्षों के रूप में ऋण के प्रतिसंदाय की अवधि पर विचार करके ऋण सेवा बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । अवक्षयण के प्रति अग्रिम को अवधारित करते समय, वसूले गए संचयी अवक्षयण की तुलना भी किए गए संचयी प्रतिसंदाय के साथ की जाएगी ।
- कार्यकरण पूंजी को मानकीय आधार पर अनुज्ञात किया जाएगा और लागू ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालिक प्राइम लैंडिंग दर होगी ।
- उपयोगिता की कोर गतिविधि पर आय-कर की फायदाग्राहियों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और उन्हें तत्पश्चात् आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा आय-कर निर्धारण के आधार पर समायोजित किया जाएगा ।
- विकास अधिभार को समाप्त कर दिया गया है ।
- केवल नदी से चलने वाले हाइड्रो ऊर्जा केन्द्रों (विद्यमान और नए) के लिए क्षमता इंडेक्स के अनुसार उपलब्धता के कार्य- निष्पादन बैंचमार्क को 85% से बढ़ा कर 90% कर दिया गया है ।

- थर्मल ऊर्जा केन्द्रों के लिए प्रोत्साहन बैंचमार्क को 77% के संयंत्र भार फैक्टर से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है । प्रोत्साहन की दर को विद्यमान 21.5 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 25 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है ।

- नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के विद्यमान लिग्नाइट आधारित ऊर्जा केन्द्रों के लिए लक्ष्य उपलब्धता और प्रोत्साहन बैंचमार्क को 72% से बढ़ा कर 75% कर दिया गया है ।

- 1850 केसीएएल/केडब्ल्यूएच के पृथक् उच्चतर दक्षता बैंचमार्क को अग्रिम श्रेणी गैस टरबाइन स्टेशनों के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । जबकि नए गैस टरबाइन आधारित उत्पादन केन्द्रों के लिए दक्षता बैंचमार्क को 1950 के सीएएल/केडब्ल्यूएच से पुनरीक्षित करके 2000 केसीएएल/केडब्ल्यूएच कर दिया गया है । तथापि, लघु गैस टरबाइन केन्द्रों के लिए संनियमों में परिवर्तन नही किया गया है ।

- कोयला आधारित केन्द्रों के लिए विनिर्दिष्ट तेल खपत संनियम को 2 एमएल/केडब्ल्यूएच से पुनरीक्षित करके 3.5 एमएल/के डब्ल्यू एच कर दिया गया है और लिग्नाइट आधारित केन्द्रों के संनियम को 3 एमएल/केडब्ल्यूएच से पुनरीक्षित करके 3.5 एमएल/केडब्ल्यूएच कर दिया गया है ।

- ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों के लिए ऊर्जा केन्द्र के भीतर सहायक ऊर्जा खपत संनियम में 0.5 प्रतिशतता तक की कमी की गई है ।

- क्रमशः पिट हैड और गैर-पिट हैड आधारित ऊर्जा केन्द्रों के संबंध में, कोयले के संक्रमण और उठाई-धराई हानियों के लिए मानकीय बैंचमार्क को 0.3% और 0.8% पर निर्धारित किया गया है ।

- थर्मल उत्पादन केन्द्रों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को संदेय किए जाने वाले प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों के लिए मानकीय बैंचमार्क को निर्धारित किया गया है ।

- ए.सी. पारेषण प्रणाली और एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के लिए लक्ष्य उपलब्धता को समग्र आधार पर 98% की बजाय पृथक् रूप से क्रमशः 98% और 95% विनिर्दिष्ट किया गया है।

- ग्रिड अनुशासन में और सुधार लाने की दृष्टि से, उत्पादन या ऊर्जा निकासी अनुसूचियों से अननुसूचित विचलन (यू आई प्रभार) के लिए भारित की जाने वाली अधिकतम दर 49 हर्टज पर 4.20 रुपए से पुनरीक्षित करके 6.00 रुपए कर दी गई है ।

7. नए विनियमों के फायदे

- अधिनियम यह विहित करता है कि राज्य विद्युत विनियामक, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विहित सिद्धान्तों और पद्धति द्वारा मार्गदर्शित होंगे । इससे संपूर्ण राज्यों में विद्युत विनियमन में सौहार्द्रता, एकता और निश्चितता को बढ़ावा मिलेगा ।

- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तैयार किए गए टैरिफ के नए निबंधन और शर्तों से थोक विद्युत टैरिफ में कुछ कमी होने की संभावना है क्योंकि पूंजी विनिधान की व्यवस्था करने वाले संनियम वर्तमान वित्तीय परिवेश की तर्ज पर हैं और दक्षता के बैंचमार्क में वृद्धि की गई है। यह ऐसे राज्य विनियामकों को समर्थ बनाएगा जो आधारभूत उपभोक्ता को फायदा देने के लिए खुदरा विद्युत टैरिफों को अवधारित करते है ।

- इसके साथ ही, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने यथासंभव मानकीय पैरामीटरों पर आधारित सरल विनियम बनाकर विनिधाता के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाया है और उस रीति में सवाधानीपूर्वक संनियम तैयार किए गए हैं जो बचत और प्रोत्साहन के माध्यम से दक्ष उद्यम को अतिरिक्त लाभ कमाने की अनुज्ञा देते हैं ।

8. उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) तंत्र को पिछले टैरिफ अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था और इसे संपूर्ण देश में क्षेत्रीय/अन्तर-राज्यिक स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था । एबीटी ने फ्रिक्वेंसी लिंक्ड कीमत तंत्र के माध्यम से ग्रिड अनुशासन को और प्रदाय की विश्वसनीयता को प्रोत्साहित किया है । केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने यह विनिश्चय किया है कि एबीटी को नए टैरिफ अवधि के दौरान जारी रखा जाएगा । आयोग को यह आशा है कि एबीटी तंत्र अपने तर्क संगत निष्कर्ष तक पहुंचेगा और राज्य विनियामक भविष्य में अंतर-राज्यिक स्तर तक इसका विस्तार करेंगे ।

(ग) टैरिफ के निबंधन और शर्तें संबंधी पुराने और नए विनियमों की तुलना

	पुराने विनियम (1.4.2001 - 31.3.2004)	नए विनियम (1.4.2001 - 31.3.2004)
वित्तीय संनियम		
पूंजी लागत	के.वि.प्रा. और स्वतंत्र अधिकरण द्वारा यथाअनुज्ञात अनुमोदित परियोजना लागत के अधीन रहते हुए वास्तविक पूंजी व्यय	आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए वास्तविक पूंजी व्यय
आरंभिक पुर्जे	युक्तियुक्त पुर्जे अनुज्ञात किए जाने थे ; कोई संनियम नहीं	संनियम विनिर्दिष्ट किए गए
अतिरिक्त पूंजीकरण	-	मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए
ऋण ईक्विटी अनुपात	भारत सरकार की अधिसूचना/परियोजना विनिर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार	विद्यमान केंद्रों के लिए आयोग द्वारा यथास्वीकृत और नए केंद्रों के लिए 70 : 30 ; यदि वास्तविक ईक्विटी 30% से कम है तो वास्तविक टैरिफ के लिए विचार किया जाना है ।
इक्विटी पर रिटर्न	16%	14%तक कम किया गया
ऋण पूंजी पर ब्याज	ऋण पूंजी पर ब्याज को अनुमोदित वित्तीय पैकेज से अनुसूचित पुर्नसंदाय के अनुसार बकाया ऋण पर संगणित किया जाएगा	पद्धति स्पष्ट रूप से निकाली गई
अवक्षयण	आस्तियों की ऐतिहासिक लागत और उपयोगी काल के लिए लिक्डं सीधी पद्धति पर आधारित	कोई परिवर्तन नहीं
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	मूल ऋण रकम के 1/12 की सीमा के अधीन रहते हुए	मूल ऋण रकम के 1/10 की सीमा के अधीन रहते हुए
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	टैरिफ फाइल करते समय अभिभावी नकद जमा दर पर ब्याज दरें । थर्मल ऊर्जा केंद्रों के लिए केवल वास्तविक लागू अनुसार सीमा के अधीन रहते हुए ईंधन संघटक	एस.बी.आई. की अल्पकालिक मुख्य उधार दर के रूप में मानकीय आधार पर ब्याज दरें । थर्मल ऊर्जा केंद्रों के लिए केवल मानकीय आधार पर लागू ईंधन संघटक

उत्पादन और निकासी अनुसूची से विचलन के लिए यू आई प्रभार	49 एच.जेड. पर 4.20 रुपए प्रति के.डब्लू.एच. की अधिकतम सीमा दर सहित आरंभ की गई फ्रिक्वेंसी लिंक्ड प्रभार	5.70/के.डब्लू.एच. की पुनरीक्षित अधिकतम सीमा दर
विकास अधिभार	उत्पादन के लिए 5% और पारेषण के लिए 10% पर आरंभ किया गया	इसके साथ छूट दी गई
प्रचालनात्मक संनियम		
थर्मल ऊर्जा केंद्र		
पूर्ण नियत प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता		
सभी थर्मल केंद्रों (एनएलसी टीपीएस-2 के सिवाय)	80%	80% तक प्रतिधारित
एनएलसी टीपीएस-2	72%	75% तक बढ़ाया गया
प्रोत्साहन के लिए संयंत्र भार फैक्टर (अनुसूचित ऊर्जा पर आधारित)		
सभी ऊर्जा केंद्रों (एनएलसी टीपीएस-2 के सिवाय)	77%	80% तक बढ़ाया गया
एनएलसी टीपीएस-2 (प्रक्रम 1 और 2)	72%	75% तक बढ़ाया गया
ग्रास स्टेशन हीट रेट		
कोयला आधारित टीपीएस	2500 केसीएल/केडब्लूएच	500 एमडब्लू सेटों के लिए 2450 केसीएल/केडब्लूएच तक कमी की गई
लिग्नाइट आधारित केंद्र	आर्द्रता अंर्तवस्तु पर निर्भर आधारित कोयला केंद्रों के लिए 4 से 10 प्रतिशत उच्चतर	कोई परिवर्तन नहीं
संयुक्त साइकिल केंद्र	2000 केसीएएल/केडब्लूएच और 500 एमडब्लू से निम्न लघु गैस टर्बाइन के लिए पृथक् संनियम	गैस टर्बाइन के वर्ग पर निर्भर रहते हुए 1850/1950 केसीएएल/ केडब्लूएच

गौण ईंधन तेल खपत		
कोयला/लिग्नाइट आधारित केंद्र	3.5 एमएल/केडब्लूएच	कोयला के लिए 2.0 एमएल/ केडब्लूएच और लिग्नाइट आधारित केंद्रों के लिए 3.0 एमएल/ केडब्लूएच
सहायक ऊर्जा खपत		
कोयला/लिग्नाइट आधारित केंद्र	तारीख 30.3.1992 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार	कोयला आधारित केंद्रों के लिए 0.5% बिन्दु तक कमी की गई । लिग्नाइट आधारित केंद्रों के लिए संनियमों को प्रतिधारित किया गया
संयुक्त साइकिल केंद्र	3.00%	कोई परिवर्तन नहीं
ओ एंड एम व्यय		
	विद्यमान केंद्रों के लिए वृद्धि के साथ 1995-2000 के लिए वास्तविकता पर आधारित । नए केंद्रों के लिए - पूंजी लागत का @ 2.5%	वास्तविक और ऐतिहासिक लागत से लिंक्ड नहीं किया गया । रुपए/एमडब्लू टर्म में विनिर्दिष्ट मानकीय
प्रोत्साहन		
	उपरोक्त लक्ष्यित पीएलएफ 21.5 पैसा/केडब्ल्यूएच की सीमा के अधीन रहते हुए प्रति केडब्लूएच नियत प्रभार का 50%	उपरोक्त लक्ष्यित पीएलएफ 25 पैसा/ केडब्लूएच की सपाट दर
हाइड्रो ऊर्जा केंद्र		
पूर्ण वार्षिक नियत प्रभारों की वसूली के लिए क्षमता सूचकांक		
	85%	नदी से चलने वाले केंद्रों के लिए 90% तक बढ़ाया गया और भंडारण/तालाब आकार के ऊर्जा केंद्रों के लिए 85% तक प्रतिधारित किया गया
सहायक ऊर्जा खपत		

	पावर हाउस और उद्दीपन प्रणाली के प्रकार पर निर्भर रहते हुए 0.2 से 0.7% तक	कोई परिवर्तन नहीं
प्रोत्साहन	वार्षिक क्षमता प्रभार से संबंधित और प्राप्त क्षमता सूचकांक	वार्षिक नियत प्रभारों से संबंधित और प्राप्त क्षमता सूचकांक । पुराने केंद्रों के लिए उच्चतर प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप
ओ एंड एम व्यय	विद्यमान केंद्रों के लिए वृद्धि के साथ 1995-2000 के लिए वास्तविक पर आधारित । नए केंदों के लिए पूंजी लागत का @ 1.5%	पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं
अंतरराज्यिक पारेषण		
पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता		
	98%	98% के रूप में एसी प्रणाली के लिए प्रतिधारित किया गया और एचबीडीसी प्रणाली के लिए 95% तक कमी की गई
ओ एंड एम व्यय		
	वास्तविक ओ एंड एम व्यय पर आधारित प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रति सीकेटी-केएम और प्रति बे आधार के रूप में ओ एंड एम व्यय मानकीय पद्धति के अनुसार विहित किए गए	2004-05 के लिए 2.27 लाख प्रति सीकेटी-केएम और 28.12 लाख रुपए प्रति बे के रूप में विहित मानकीय ओ एड एम व्यय में 0.4% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जानी है (पश्चात्वर्त्ती वर्षों के लिए)
प्रोत्साहन		
	98% से ऊपर उपलब्धता में 0.5 प्रतिशत प्रत्येक वृद्धि के लिए ईक्विटी के 1 प्रतिशत की दर पर संदेय प्रोत्साहन । 99.75% से ऊपर की उपलब्धता पर कोई प्रोत्साहन संदेय नहीं	लक्ष्य उपलब्धता से परे उपलब्धता में वृद्धि प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु के लिए ईक्विटी के 1.0 प्रतिशत की दर से संदेय प्रोत्साहन

(घ) विद्युत में अन्तर-राज्यिक व्यापार

विद्युत अधिनियम, 2003 व्यापार को एक पृथक् अनुज्ञप्त क्रियाकलाप के रूप में मान्यता देता है । केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति देने हेतु अपेक्षित है । अधिनियम के अधिनियमन के परिणामस्वरूप आयोग को व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं । आयोग ने यह आदेश दिया कि ये आवेदक अपने स्वयं के जोखिम पर, जब तक अनुज्ञप्ति आवेदन पर आयोग द्वारा विनियम के अनुसार कर्रवाई नहीं की जाती है, तब तक सभी विद्यमान विधियों और विनियमों का पालन करने के साथ-साथ विद्युत में व्यापार कर सकेंगे ।

अधिनियम में यह परिकल्पित है कि आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा और विद्युत व्यापारी होने के लिए तकनीकी अपेक्षा, पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा और ऋण योग्यता को भी विनिर्दिष्ट करेगा। व्यापारी विद्युत के प्रदाय और व्यापार के संबध में ऐसे कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । अधिनियम की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सितम्बर, 2003 में "ऊर्जा व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें" संबधी संकल्पना दस्तावेज परिचालित किए थे । आयोग को संकल्पना दस्तावेज पर असंख्य टीका-टिप्पणियां प्राप्त हुई । 9 दिसम्बर, 2003 को आयोग ने विद्युत में व्यापार करने के लिए एक विनियम जारी किया । इन व्यापार संबंधी विनियमों को 30 जनवरी, 2004 में अधिसूचित किया गया ।

व्यापार संबंधी विनियमों के प्रमुख लक्षण

- अन्तर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप में आवेदन करेगा ।

- आवेदन फीस जब तक भारत सरकार द्वारा फीस को अधिसूचित किया जाए समायोजन के अधीन रहते हुए, अनंतिम रूप से एक लाख रुपए होगी ।

- वर्तमान विनियम उत्पादक और व्यापारी तथा व्यापारी और अनुज्ञप्तिधारी के बीच द्विपक्षीय रूप से किए जाने वाले व्यापार को लागू होता है । जैसे ही वितरण में खुली पहुंच को अनुज्ञात किया जाएगा और जब ऊर्जा विनिमय शुरू किया जाएगा वैसे ही विनियम को उपांतरित किया जाएगा ।

- आवेदक को ऐसे आवेदन को करने के 7 दिन के भीतर अपने आवेदन को कम से कम दो राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र और दो स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करना होता है । प्रकाशन में आवेदन का नाम, पता, शेयरधारण पैटर्न, वित्तीय और तकनीकी सामर्थ्य, प्रबंधन, प्रोफाइल, व्यापार

किए जाने के लिए आशयित ऊर्जा की मात्रा, ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे जिसमें प्रस्तावित व्यापार किया जाना है, आदि ।

- व्यापारी को कम से कम दो पूर्णकालिक वृत्तिक, जिसमें से एक के पास ऊर्जा प्रणाली प्रचालन में अनुभव हो और दूसरे को वित्त, वाणिज्य और लेखा में अनुभव हो, वाली न्यूनतम तकनीकी अपेक्षाओं का पालन करना होता है ।

- विद्युत व्यापारी होने के लिए पूंजी पर्याप्तता और उधार-पात्रता को निम्नलिखित सारणी के अनुसार छह विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित किया गया है । यह सारणी व्यापारियों के विभिन्न प्रवर्गों द्वारा संदत्त की जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस को भी उपदर्शित करती है

क्रम सं0	व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी का प्रवर्ग	प्रति वर्ष व्यापार की गई विद्युत (किलो वाट घंटों में)	शुद्ध धन (रुपए करोड़ में)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (रुपए लाख में)
1	क	100 मिलियन तक	1.50	1.00
2	ख	100 से 200 मिलियन	3.00	2.00
3	ग	200 से 500 मिलियन	7.50	5.00
4	घ	500 से 700 मिलियन	10.00	7.00
5	ङ	700 से 1000 मिलियन	15.00	10.00
6	च	1000 मिलियन से ऊपर	20.00	15.00

- आयोग समय-समय पर व्यापारिक मार्जिन नियत कर सकेगा ।

- अनुज्ञप्ति जब तक पहले प्रतिसंहृत नहीं कर ली जाती 25 वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

- यदि कोई व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है तो आयोग समुचित निदेश जारी कर सकेगा ।

- अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों को लोक हित में या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर

अधिसूचित प्रक्रिया द्वारा आयोग द्वारा उपांतरित किया जा सकेगा ।

- अनुज्ञप्ति के किन्हीं भी नियंधनों और शर्तों के व्यतिक्रम या अतिलंघन की दशा में, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत भी किया जा सकेगा ।

आयोग ने पारेषण में खुली पहुंच के लिए पहले ही आदेश जारी किए हैं । खुली पहुंच आरंभ करने से व्यापार को प्रोत्साहन मिलने की आशा है और यह उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग को सुकर बनाएगा । यह चक्रण प्रभारों, पारेषण हानियों, व्यापारिक मार्जिन आदि को ध्यान में रखते हुए, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों की रोकी गई ऊर्जा को लाने में तब सुकर बनाएगा यदि ऊर्जा की विक्रय दर आकर्षक हो ।

(ङ) उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) और उसका कार्यान्वयन

एबीटी की पृष्ठभूमि

बहुत लंबे समय से यह देखा गया था कि उत्पादन और भार के बीच अंतर हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप कुछ अवधि के दौरान उच्च फ्रिक्वेंसी हो रही थी और अन्य अवधि के दौरान निम्न फ्रिक्वेंसी हो रही थी । अननुशासन से ग्रिड में बाधाएं हो रही थी और ग्रिड में बार-बार खराबी आ रही थी । दक्षिणी क्षेत्र में 47.8 एच ज्येड से निम्न फ्रिक्वेंसी और पश्चिमी क्षेत्र में 52 एच ज्येड से अधिक फ्रिक्वेंसी का मुद्दा विभिन्न पणधारियों के बीच चिन्ता का कारण बन गया था । इस मुद्दे पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया गया और एबीटी के तीन भाग की संकल्पना की गई थी ।

एबीटी के लक्षण

- यह केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन उत्पादन कंपनियों द्वारा विद्युत के प्रदाय के लिए कार्य-निष्पादन आधारित टैरिफ है ।

- यह अनुसूचीकरण और प्रेषण की नई प्रणाली भी है जो कि उत्पादकों और फायदाग्राहियों के लिए अगले दिन की अनुसूची तैयार करने के लिए अपेक्षित है ।
- यह अगले दिन के पहले ही तैयार की गई अनुसूचियों को लागू करने के लिए एक पुरस्कार और

शास्तियों की प्रणाली भी है, यद्यपि, फेरफार तब अनुज्ञात किया जाता है यदि यह अग्रिम में डेढ़ घंटे पहले अधिसूचित की जाए ।

- आदेश देयों के तुरन्त संदाय पर जोर देता है । विहित प्रभारों के संदाय न किए जाने पर समुचित कार्रवाई का उपबंध है ।

- इसके तीन भाग है : (क) उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई क्षमता के लिए प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा उत्पादक को प्रत्येक मास संदेय नियत प्रभार (एफसी) । (ख) दैनिक आधार पर लिए गए प्रदाय की पहले ही तैयार की गई अनुसूची के अनुसार प्रदाय की गई ऊर्जा का ऊर्जा प्रभार प्रति किलोवाट । (ग) पहले ही तैयार की गई दैनिक अनुसूची से फेरफार में ऊर्जा के प्रदाय और उपभोग के लिए अननुसूचित अंतर विनिमय (यू आई प्रभार) प्रभार । यह प्रभार प्रदाय/उपभोग के समय अभिभावी प्रणाली फ्रिक्वेंसी के साथ अनुपाततः परिवर्तित होता है । इसलिए यह प्रदाय के समय ऊर्जा के मार्जिनल मूल्य को परिवर्तित करता है ।

ए.बी.टी के प्रभाव

- ए.बी.टी को अब देश के सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है । एबीटी को 1 जुलाई, 2002 में पश्चिमी क्षेत्र में आरंभ किया गया और उसके पश्चात् उत्तरी क्षेत्र (1 दिसम्बर, 2002) दक्षिणी क्षेत्र (1 जनवरी, 2003), पूर्वी क्षेत्र (1 मई, 2003) और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (1 नवम्बर, 2003) में लागू किया गया ।

- एबीटी के परिणाम स्पष्ट रूप से अब तक यह सुस्थापित करते हैं कि पणधारी केन्द्रीय सेक्टर ऊर्जा केन्द्रों से अपनी निकासी को आप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जब कि उनको यू आई प्रभारों का संदाय करना होता है ।

- ए.बी.टी. को आरंभ करने से विद्युत में व्यापार करने का रास्ता तैयार हो गया है । यू.आई दर व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक बैंचमार्क कीमत के रूप में कार्य करती है ।

- ए.बी.टी के कार्यान्वयन के पश्चात्, ग्रिड स्थिरता में सारवान् रूप से सुधार हुआ है । ए.बी.टी के पूर्व और उसके पश्चात् ग्रिड कार्य-निष्पादन को दर्शित करने वाला तुलनात्मक चार्ट निम्नलिखित है :

फ्रिक्वेंसी तुलना : एबीटी के एक वर्ष पूर्व और एबीटी के पश्चात्
(49.0 एच. जेड. से 50.5 एच. जेड. के बीच समय फ्रिक्वेंसी प्रतिशतता)

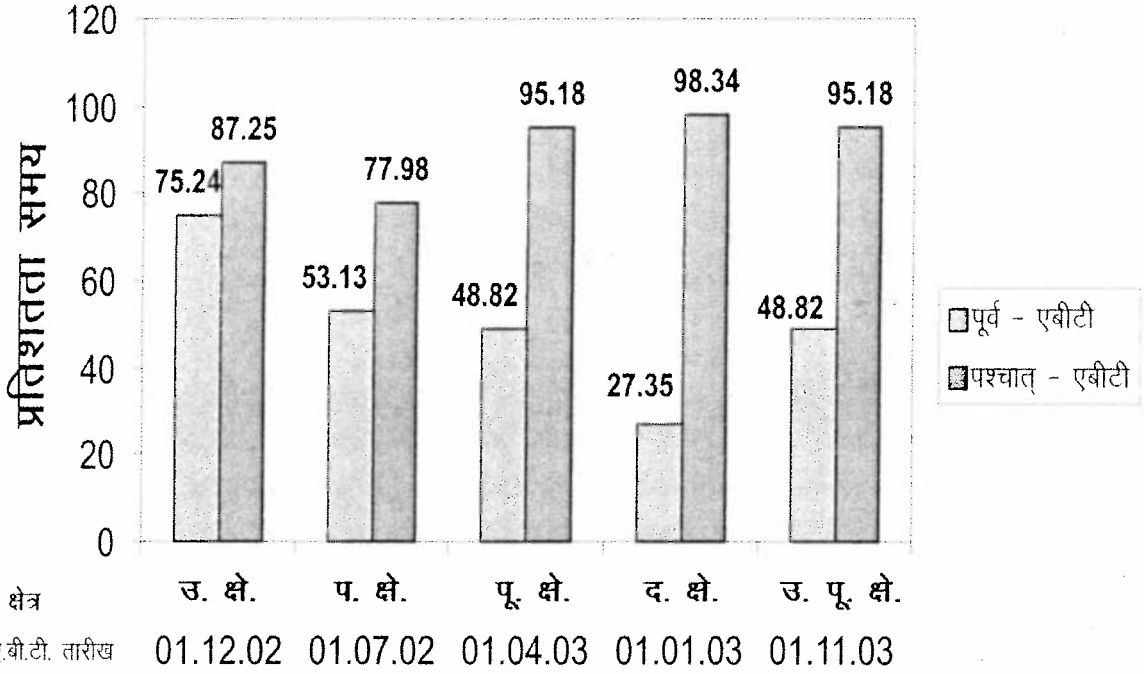

* उ. क्षे. = उत्तरी क्षेत्र, प. क्षे. = पश्चिमी क्षेत्र, द. क्षे. = दक्षिणी क्षेत्र, पू. क्षे. = पूर्वी क्षेत्र, उ. पू. क्षे. = उत्तर–पूर्वी क्षेत्र,

(च) आयोग के समक्ष कार्यवाहियां

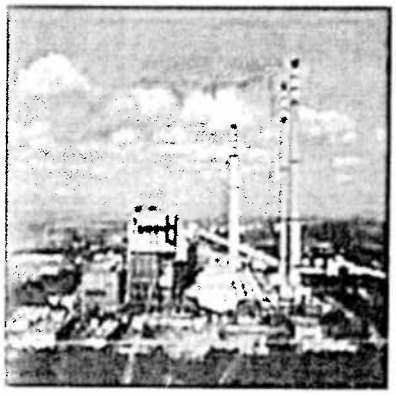

थर्मल ऊर्जा केन्द्रों से संबंधित याचिकाएं

1. आयोग ने एनटीपीसी, एनएलसी और निपको के थर्मल उत्पादन केन्द्रों से संबंधित लगभग 78 याचिकाओं पर कार्रवाई की । 78 याचिकाओं में से,--

(क) 34 टैरिफ याचिकाएं थी,

(ख) 31 पुनर्विलोकन याचिकाएं थी,

(ग) 12 फ्री गर्वनर मोड आपरेशन आदि जैसे अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं थी, और

(घ) एक 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों संबंधी स्वप्रेरणा याचिका थी ।

2. 34 टैरिफ याचिकाओं में से,--

- 31-3-2004 तक की टैरिफ अवधि के लिए कायमकुलम जीपीएस, फरीदाबाद जीपीएस और विंध्याचल एसटीपीएस प्रक्रम 2 के लिए अंतिम आदेश पारित किए गए थे(प्रदान किया गया टैरिफ निम्नलिखित सारणी में देखवा जा सकता है) एफजीयूटीपीपी प्रक्रम 2 की दशा में, अंतिम आदेश को आरक्षित रखा गया था ।

वर्ष 2003-04 के दौरान प्रदान किया गया एन टी पी सी के कोयला आधारित ऊर्जा केन्द्र का टैरिफ

केन्द्र का नाम	विंध्यांचल एस.टी.पी.एस. केन्द्र -1	विंध्यांचल एस.टी.पी.एस. केन्द्र -2	सिंगरौली एस टी पी एस	रामागुंडम एस टी पी एस	कोरबा एस टी पी एस	एफ जी यू टी पी पी प्रक्रम 1
क्षमता (मेगावाट)	1260	1000	2000	2100	2100	420
वार्षिक क्षमता प्रभार (रुपए लाख में)						
ईक्विटी पर रिर्टन	12663	11482	8696	17882	11791	7526
ऋण पर ब्याज	139	9707	933	0	743	11
अवक्षयण	5030	8688	4113	3853	5535	3374
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	0	5266	0	2202	0	0
प्रचालन और रखरखाव	11188	6976	18749	19484	17776	7154
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	2762	2612	3969	5187	3102	1526
कुल	31782	44731	36460	48608	38947	19591
ऊर्जा प्रभारों का आधार (पैसा/के डब्ल्यू एच) (मास से मास के आधार पर ईंधन कीमत में परिवर्तन के अध्यधीन)						
	70.68	63.37	67.98	82.62	41.75	106.03

- नए स्थापित केन्द्र, अर्थात् ग्रीन फील्ड सिमहाद्री टीपीएस और तलचर टीपीएस प्रक्रम-2 (विस्तार परियोजना) के लिए इन्फर्म ऊर्जा के प्रदाय हेतु अनंतिम टैरिफ दिया गया था ।

वर्ष 2003-04 के दौरान प्रदान किया गया एन टी पी सी के गैस/द्रव ईंधन आधारित ऊर्जा केन्द्र के लिए टैरिफ

केन्द्र का नाम	फरीदाबाद जी पी एस	कायमकुलम सी सी जी टी	औरेया जी पी एस	दादरी जी पी एस
क्षमता (मेगावाट)	431.58	359.58	663.36	829.78
वार्षिक क्षमता प्रभार (रुपए लाख में)				
इक्विटी पर रिटर्न	7233	5401	5767	6931
ऋण पर ब्याज	6166	1357	176	3054
अवक्षयण	4151	5090	3836	4798
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	0	1474	0	0
प्रचालन और रखरखाव	2668	3489	2948	3926
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	1422	2822	1716	2387
कुल	21630	19633	14443	21096
ऊर्जा प्रभारों का आधार (निकाला गया पैसा/के डब्ल्यू एच) (मास से मास के आधार पर ईंधन कीमत में परिवर्तन के अध्यधीन)				
प्राकृतिक गैस	89.05		96.27	96.28
द्रव ईंधन	301.31	277.88	297.97	369.69

- 1-4-1999 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए दादरी जीपीएस हेतु अंतिम आदेश पारित किया गया था । कहलगांव एसटीपीएस की दशा में एनटीपीसी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत के अनुमोदन के पश्चात् आयोग के पास आने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी । आयोग ने गंधार जीपीएस, फरक्का एसटीपीएस, कवास जीपीएस, के लिए एनटीपीसी संशोधित याचिकाओं तथा एनसीटीपीएस दादरी की सुनवाई की तथा इनमें आदेश आरक्षित हैं ।

- एनटीपीसी के 7 उत्पादन केन्द्रों के लिए अंतिम टैरिफ (प्रदान किया गया टैरिफ ऊपर सारणी में देखा जा सकता है) आदेश पारित किए गए। आयोग ने 1-4-2004 की पूर्व अवधि के लिए अंतिम टैरिफ के लिए लंबित एनटीपीसी की 8 अन्य याचिकाओं में आदेश आरक्षित रखा है ।

- एनएलसीटीपीएस-1 (विस्तार) के नए स्थापित केन्द्र से इन्फर्म ऊर्जा के प्रदाय के लिए टैरिफ अनुज्ञात किया गया था । अगरतला जीपीएस और असम जीपीएस के लिए निपको की 2 याचिकाओं के संबंध में आयोग ने 31-3-2003 तक क्रमशः 1.90% केडब्ल्यूएच और 2.25% केडब्ल्यूएच का एकल भाग टैरिफ इस निदेश के साथ अनुज्ञात किया कि वह 2003-04 की अवधि के लिए नई याचिकाएं फाइल करे ।

3. एनटीपीसी, एनएलसी और एसईबी के 31 पुनर्विलोकन याचिकाओं में से,--

- 17 याचिकाएं सुनवाई की कार्रवाई करने के पश्चात् (चलाने योग्य नहीं है और इसलिए खारिज की गई) निपटाई गई ।

- 2 याचिकाओं में आदेशों को उपांतरित किया गया ।

थोक ऊर्जा की कीमत : तुलनात्मक विश्लेषण

आयोग ने टैरिफ विनियम के अनुसार पारदर्शी रीति से केंद्र-वार टैरिफ प्रदान किया । टू-पार्ट टैरिफ वार्षिक नियत प्रभारों और परिवर्तनीय/ऊर्जा प्रभारों के अनुसार प्रदान किया गया है । आयोग द्वारा प्रदान किए गए केंद्र-वार टैरिफ पर आधारित निम्नलिखित ग्राफ सीईआरसी द्वारा विनियमित विभिन्न प्रकार के उत्पादन केंदों के लिए वर्ष 2003-04 हेतु पैसे/केडब्लूएच के अनुसार थोक ऊर्जा की तुलनात्मक कीमत को दर्शाता है । मार्च, 2004 में औसत ईंधन कीमत की तत्स्थानी ऊर्जा प्रभार ।

थोक ऊर्जा कीमत : एनटीपीसी के कोयला आधारित ऊर्जा केन्द्र, 2003–04

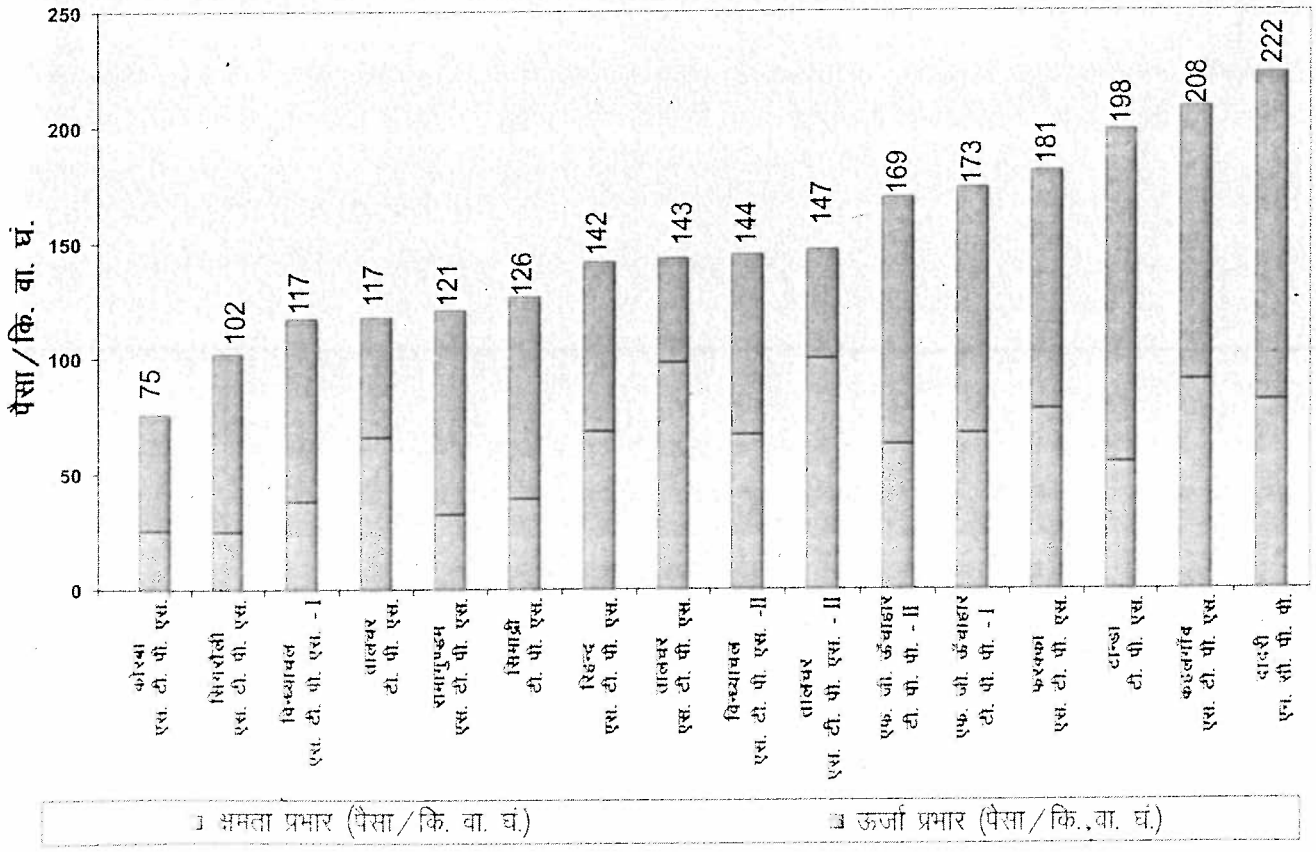

थोक ऊर्जा कीमत : एनएलसी के लिग्नाइट आधारित ऊर्जा केन्द्र, 2003–04

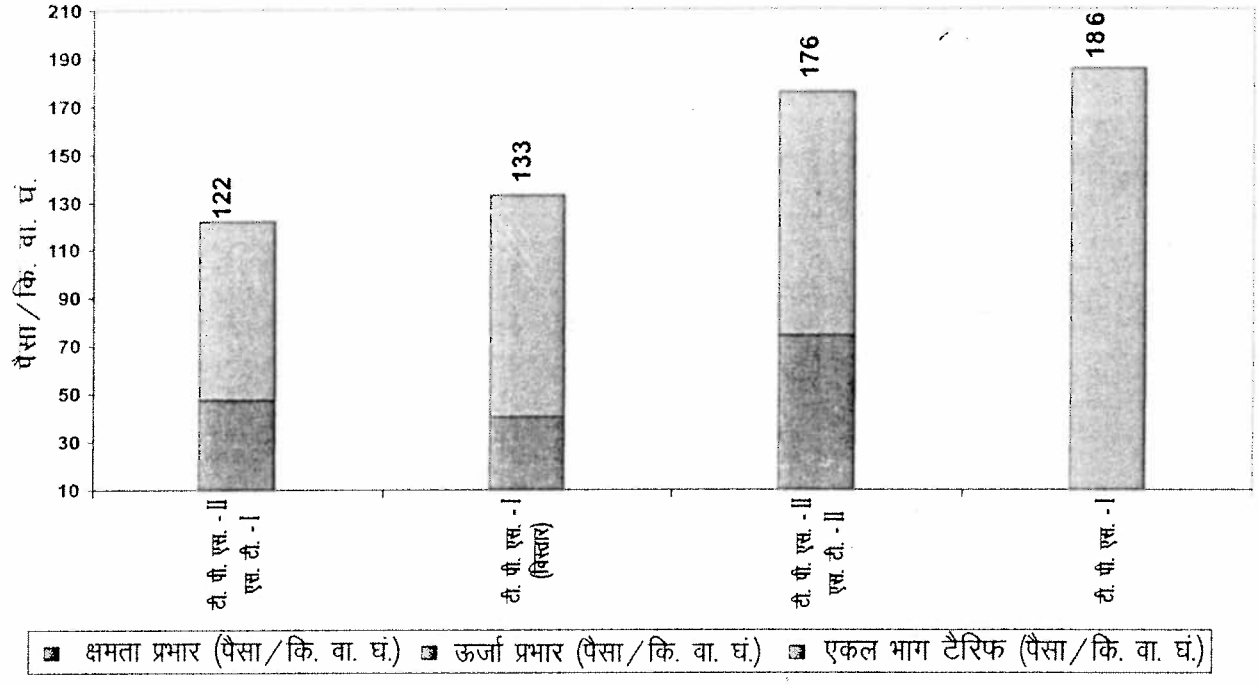

थोक ऊर्जा कीमत : एनटीपीसी/नीपको के गैस आधारित ऊर्जा केन्द्र, 2003–04

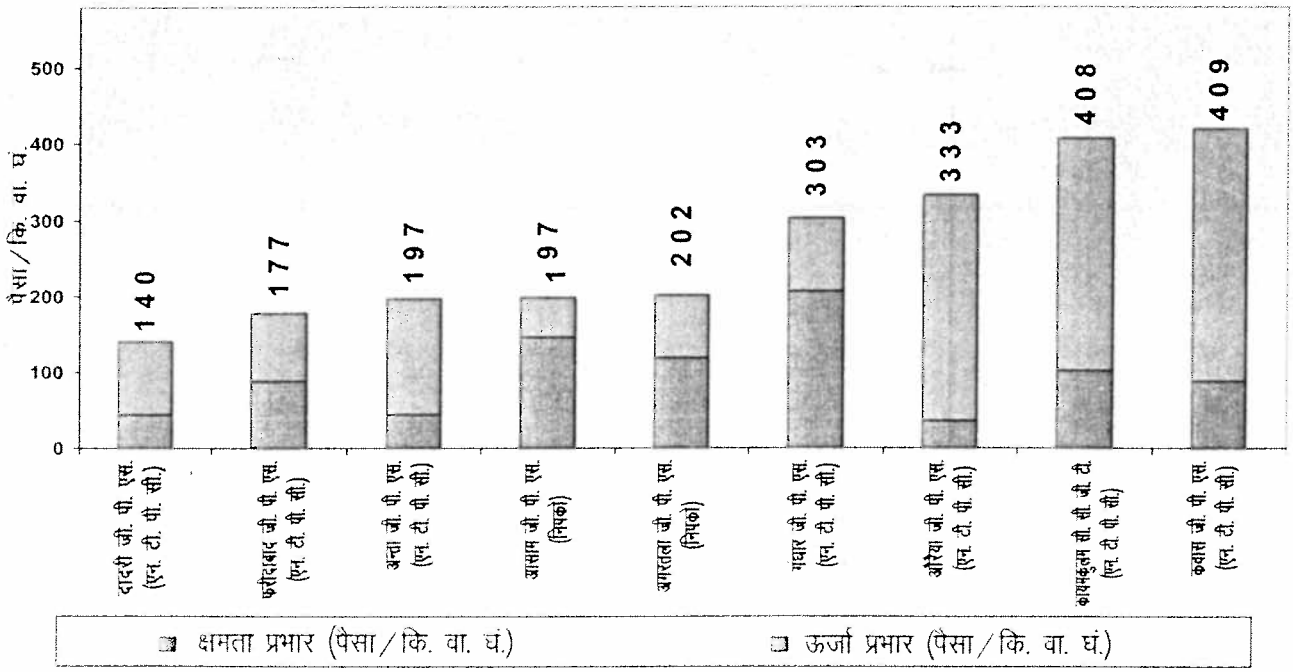

4. 13 याचिकाएं टैरिफ से भिन्न अन्य विषयों से संबंधित थी । ये स्वप्रेरणा प्रकृत्ति की याचिकाएं थी । जिनमें 2004-09 की अवधि के लिए निबंधन और शर्तों का अवधारण अंतर्वलित था और एबीटी के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने तथा एफजीएमओ आदि से संबंधित याचिकाएं अन्तर्वलित थी तथा सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 12 याचिकाओं को निपटाया गया ।

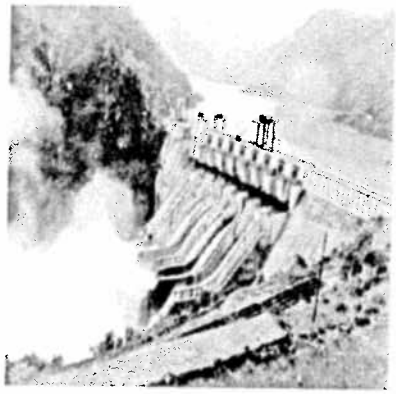

हाइड्रो ऊर्जा केन्द्रों से संबंधित याचिकाएं

1. आयोग ने एनएचपीसी, निपको, सतलज जल विद्युत निगम लि0 (नाप्था झाकरी) नर्मदा हाइड्रो डिवेलपमेंट कारपोरेशन और उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन के हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों से संबंधित लगभग 14 याचिकाओं पर कार्रवाई की । इन 14 याचिकाओं में से,--

(क) 8 टैरिफ याचिकाओं से संबंधित थी,

(ख) 4 एनएचपीसी की पुनर्विलोकन याचिकाएं थी,

(ग) 1 फ्री गर्वनर मोड आपरेशन से संबंधित थी, और

(घ) एक 1 2004-09 अवधि के लिए टैरिफ के निबंधनों और शर्तों से संबंधित स्वप्रेरणा याचिका थी ।

2. 8 टैरिफ याचिकाओं में से,--

- 3 नए उत्पादन केन्द्रों, अर्थात् चमेरा-2, नाप्था झाकरी और इन्दिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 2003-04 हेतु अनंतिम टैरिफ अनुज्ञात किया गया था ।

- उपयोगिताओं द्वारा कुछ इन्पुट फाइल करना लंबित था इसलिए 1-11-2003 से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एबीटी के कार्यान्वयन पर निपको की डोयांग, कोपली और खानडांग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं के संबंध में अंतिम टू-पार्ट टैरिफ अनुज्ञात किया गया था । निपको की रंगानदी एचईपी के लिए टैरिफ याचिका को पुनरीक्षित वित्तीय पैकेज प्रस्तुत न करने पर निपटा दिया गया था ।

- एनएचपीसी की रंजीत एचईपी के संबंध में अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया गया था (प्रदान किए गए टैरिफ को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है) ।

वर्ष 2003-04 के दौरान प्रदान किया गया एन एच पी सी के रंजीत एच ई परियोजना (3x20मेगावाट) का टैरिफ

(रुपए लाख में)

वार्षिक नियत प्रभार	2001-02	2002-03	2003-04
ऋण पर ब्याज	3464	3081	2116
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	229	236	218
अवक्षयण	1130	1130	1130
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	631	1342	1342
ईक्विटी पर रिटर्न	2910	2910	2910
प्रचालन और रखरखाव खर्चे	744	767	795
कुल	9108	9466	8511

3. आयोग ने एनएचपीसी द्वारा फाइल किए गए चमेरा प्रक्रम 1, सलाल, उरी और टनकपुर एचई केन्द्रों के संबंध में 4 पुनर्विलोकन याचिकाओं में आदेश आरक्षित रखा है ।

आयोग द्वारा प्रदान किए गए टैरिफ के अनुसार, एन एच पी सी के हाइड्रो ऊर्जा केन्द्रों के लिए संगणित थोक ऊर्जा कीमत (पैसे / के डब्ल्यू एच) को निम्नलिखित चार्ट में देखा जा सकता है

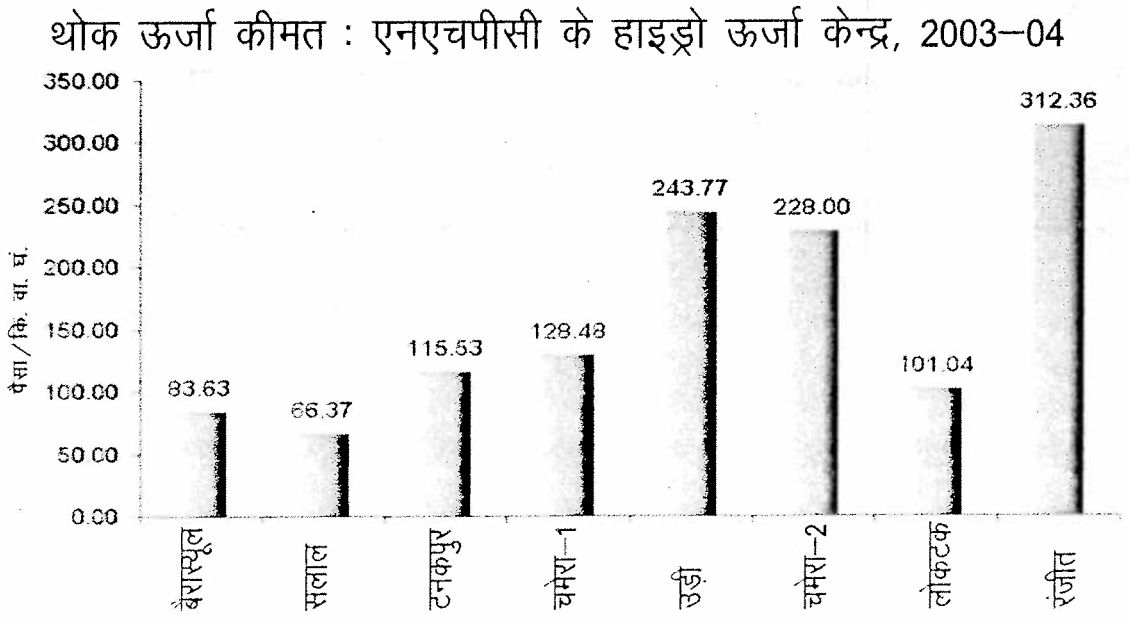

4. 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों के पुनर्विलोकन में अंतर्ग्रस्त टैरिफ से भिन्न विषय से संबंधित दो स्वप्रेरणा याचिकाओं पर कार्रवाई की गई और उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन द्वारा फाइल की गई एफजीएमओ छूट से संबंधित एक याचिका पर कार्रवाई की गई ।

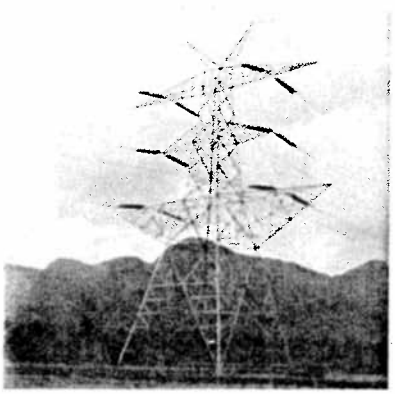

अंतर-राज्यिक पारेषण से संबंधित याचिकाएं

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान, आयोग ने अंतर-राज्यिक पारेषण से संबंधित 83 याचिकाओं का निपटान किया । 83 याचिकाओं में से,

(क) 71 याचिकाएं टैरिफ से संबंधित थी,

(ख) 4 याचिकाएं अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति से संबंधित थी,

(ग) 5 याचिकाएं यूआई प्रभारों के असंदाय से संबंधित थी ; और

(घ) 3 याचिकाएं ग्रिड अनुशासनहीनता और ग्रिड सुरक्षा से संबंधित थी ।

2. अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति से संबंधित याचिकाएं

- पावरग्रिड ने पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसे आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण लाइनों के संबंध में प्रदाय और परिनिर्माण संविदाओं की कीमत फेरफार और कीमत और मात्रा फेरफार में वृद्धि के मद्दे परियोजना लागत में वृद्धि के लिए पद्धति के अनुमोदन हेतु याचिका (सं073/2003) फाइल की गई थी । आयोग 5 जनवरी, 2004 के आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुचा कि, याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रयुक्त मात्रा और कीमत फेरफार के लिए फार्मूले के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है । पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार अपने कार्य अभिकरणों से, जैसी कार्यपद्धति है, लागतों की समीक्षा कराएगी । आयोग ने यह अभिव्यक्त किया कि इस प्रक्रम पर याचिका में किए गए अनुरोध के अनुमोदन की अनदेखी नहीं की जा सकती । याचिकाकर्ता को पावरग्रिड के साथ संपर्क रखने का निदेश दिया गया था जिससे कि केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके और उसे 31-1-2004 तक अंतिम रूप दिया जा सके ।

अंतर-राज्यिक पारेषण की कीमत (क्षेत्र वार) : पावर ग्रिड लाइन, 2003-04

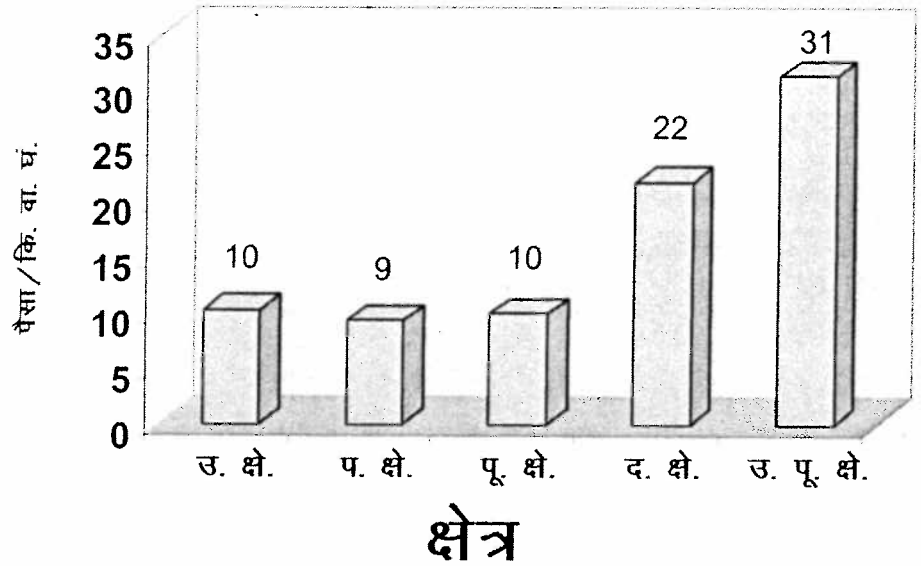

* उ. क्षे. = उत्तरी क्षेत्र, प. क्षे. = पश्चिमी क्षेत्र, द. क्षे. = दक्षिणी क्षेत्र, पू. क्षे. = पूर्वी क्षेत्र, उ. पू. क्षे. = उत्तर–पूर्वी क्षेत्र,

1 उधारदाताओं से संबंधित एक दूसरी याचिका (सं0 92/2003) पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा फाइल की गई थी । याचिकाकर्ता ने उधारदाताओं के साथ अपनी अनुज्ञप्ति के लिए करार करने के लिए और अपनी उपयोगिता और आस्तियों के अंतरण, आवेदक उधारदाताओं के बीच हस्ताक्षरित वित्तीय दस्तावेजों में परिभाषित किसी भी त्रुटि की दशा में आयोग का अनुमोदन मांगा । आवेदक ने आयोग को किए जाने वाले किसी और आवेदन कि अपेक्षा किए बिना, इन करारों में तय बेआउट कीमत पर कार्यान्वयन करार और पारेषण सेवा करार में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में अपनी उपयोगिता/आस्तियों का पावर ग्रिड को विक्रय करने के लिए आयोग का अनुमोदन भी मांगा था। अंततः, आवेदक ने यह निदेश मांगा था कि क्या वित्तीय दस्तावेज आयोग में उसके अभिलेख के लिए फाइल किए जाने अपेक्षित हैं । आयोग ने तारीख 5 फरवरी, 2004 के आदेश द्वारा सिद्धान्ततः याचिकाकर्ता को अनुज्ञप्ति समनुदेशित करने या ऋण और अन्य वसूलनीय देयों की सीमा तक उपयोगिता या आस्तियों के अंतरण के लिए उधारदाताओं के साथ करार करने के लिए अनुज्ञात किया । जहां तक पावर ग्रिड द्वारा आवेदक की आस्तियों के बेआउट के लिए उपबंधों का संबंध है, आयोग ने इस प्रकम पर यह कहना पर्याप्त समझा कि ऐसी कार्रवाई की अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1)

और उपधारा (2) के लिए पुष्टि की जानी चाहिए क्योंकि पावर ग्रिड केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के रूप में अपनी क्षमता से समझा गया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी है । अंततः आयोग ने यह निदेश दिया कि वित्तीय दस्तावेज जब भी कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, फाइल किए जाएं ।

- टेनिगा नेसिनल बरहड, मलेशिया (टीएनबी) और कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि., इंडिया (कल्पतरू) परिसंघ ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में 400 केवी डी/सी बीना-नागदा-देहगम के लिए बीना-देहगम ट्रांसमिशन कंपनी लि0 को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन (सं0 93/2003) फाइल किया था । केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता ने यह प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा निकाला गया स्तरीकृत टैरिफ 12.34% से बढ़ाकर 24.33% किया गया था जिसके लिए फायदाग्राही से परामर्श नहीं किया गया था यद्यपि, कोई अन्य ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे । आवेदक ने वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् 30 वर्ष की अवधि के लिए वर्षवार पारेषण सेवा प्रभार और 675.87 करोड़ रुपए की पारेषण लाइनों की प्राक्कलित पूरा होने की लागत को उपदर्शित किया था । आयोग के समक्ष फाइल किए गए पुनरीक्षित शपथपत्र में आवेदक ने पारेषण लाइन की प्राक्कलित पूरा किए जाने की लागत 675 करोड़ रुपए उपदर्शित की । केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता की ओर से फाइल किए गए शपथपत्र में प्राक्कलित पूरा होने की लागत 557 करोड़ रुपए उपदर्शित की गई थी जो कि केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के प्रतिनिधि के अनुसार बैंचमार्क कीमत होनी चाहिए। प्राक्कलित समापन लागत और पारेषण लाइनों के स्थापित किए जाने पर संभावित टैरिफ के प्रस्तावों का विश्लेषण करने पर आयोग तारीख 27 अप्रैल, 2004 के अपने आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना अंत में उपभोक्ता के फायदे के लिए नहीं होगा । इसके प्रतिकूल, इससे उच्चतर टैरिफ को बढावा मिलेगा । इन सबको ध्यान में रखते हुए आयोग ने बीना-नागदा-देहगम पारेषण लाइनों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान के लिए आवेदक के अनुरोध को रद्द कर दिया । आयोग ने यह भी निदेश दिया कि पावर ग्रिड जो पारेषण लाइन संनिर्मित करने के लिए है, लागत के भीतर पारेषण लाइन को लगाने का हर प्रयास करेगा जिसके लिए बैंचमार्क कीमत 557 करोड़ रुपए होगी और किसी भी दशा में, कुल लागत 617 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

- मैसर्स टेनिगा नेशनल बिरहड (टीएनबी) मलेशिया और मैसर्स कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि0 (कल्पतरू) ने पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन के लंबित होने के दौरान आईपीटीसी मार्ग के अंतर्गत बीना-नागदा-देहगम 400 केवी पारेषण लाइन के कार्यान्वयन में पावर ग्रिड (सीटीयू) की पूर्व शर्तों के अनुसार विचार किए जाने के लिए मार्गाधिकार और वन निकासी अनुज्ञा के संबंध में पावर ग्रिड को निदेश जारी करने के लिए एक दूसरी याचिका (सं0 99/2003) फाइल की थी । आयोग ने

तारीख 5 फरवरी, 2004 को अपने आदेश में यह अभिव्यक्त किया कि संविदाकारी पक्षकारों के एकाधिकार के भीतर आने वाले अपरिहार्य घटना की शर्तों की परिधि में मार्गाधिकार और वन निकासी के मद्दे विलंब को सम्मिलित करने के मुद्दे पर उनके द्वारा विचार किया जाए और विनिश्चय किया जाए । इसलिए आयोग ने इस निमित्त किया गया अनुरोध रद्द कर दिया । पावर ग्रिड याचिकाकर्ता के जोखिम और लागत पर मार्गाधिकार और वन निकासी अभिप्राप्त करने के लिए तथा प्रतिपक्षी की ओर से बिना किसी विधिक या बाध्यकारी बाध्यताओं से संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले पर विचार विमर्श करने के लिए सहमत था ।

3. ग्रिड फ्रिक्वेंसी के रखरखाव और यूआई प्रभारों के असंदाय के संबंध में याचिकाएं

- आयोग ने ग्रिड फ्रिक्वेंसी रखरखाव और यू आई प्रभारों के असंदाय से संबंधित 8 याचिकाओं का निपटान किया । याचिका सं0 107/2002 और 108/2002 पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ग्रिड से अधिक निकासी और ग्रिड सुरक्षा के संबंध में फाइल की गई थी । आयोग ने तारीख 28 जनवरी, 2003 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि एमपीएसईबी केवल 1.00 लाख रुपए की नाममात्र की शास्ति का संदाय करेगा । एमएसईबी और जीईबी ग्रिड अनुशासनहीनता के लिए बराबर दोषी पाए गए और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । 9 अप्रैल, 2003 को इन याचिकाओं को निपटाते समय आयोग ने विभिन्न अवसरों पर पश्चिम क्षेत्रीय ग्रिड से ऊर्जा की अधिक निकासी के लिए जीईपी और एमएसईबी के कदाचार का कड़ाई से अननुमोदन व्यक्त किया । तथापि, जैसा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया, ग्रिड प्रबंधन के मामले में इन उपयोगिताओं द्वारा पश्चात्वर्ती सहयोग प्रदर्शित करने का संज्ञान लेते हुए, आयोग अधिनियम की धारा 45 के अधीन कोई भी शास्ति अधिरोपित करने से विरत रहा ।

- उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, ऊर्जा विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम लिए द्वारा अननुसूचित अंतरविनिमय (यूआई) प्रभारों के असंदाय के लिए फाइल की गई याचिका सं0 13/2003, 19/2003, 20/2003 और 53/2003 का क्रमशः निपटान किया गया । पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एमपीएईबी से यूआई प्रभारों की वसूली के लिए एक दूसरी याचिका (सं0 14/2003) फाइल की गई । यूआई प्रभारों के संदाय में त्रुटि से संबंधित सभी मामलों में आयोग ने कड़ा रूख अपनाया और विनिर्दिष्ट तारीख तक

बकाया रकम के संदाय के लिए निर्देश जारी किए । परिणामस्वरूप, यूआई प्रभारों के लिए सारवान् संदाय व्यतिक्रमी उपयोगिताओं द्वारा किया गया था ।

अंतर-राज्यिक व्यापार से संबंधित याचिकाएं

1. 2003-04 के दौरान, आयोग के समक्ष अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु 13 आवेदन फाइल किए गए थे ।

2. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिडेट द्वारा विद्युत में अन्तर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अनुसार "समझा गया अनुज्ञप्तिधारी" के रूप में घोषित करने के लिए याचिका (88/2003) फाइल की गई थी । आयोग तारीख 13 फरवरी, 2004 के आदेश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अभिवचन अनुमोदित नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई इस आशय की घोषणा को कि वह एक "समझा गया अनुज्ञप्तिधारी" है, नहीं माना गया ।याचिका, तद्नुसार, खारिज कर दी गई थी ।

एन. टी. पी. सी., एन. एच. पी. सी. और निपको के ऊर्जा केन्द्रों तथा पावर ग्रिड के अंतर–राज्यिक पारेषण नेटवर्क के अवस्थितिक मानचित्र उपाबंध 6, उपाबंध 7, उपाबंध 8 और उपाबंध 9 में दिए गए हैं ।

वार्षिक लेखा विवरण

व्यय

वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, आयोग को 500.00 लाख रुपए की बजट संबंधी सहायता प्रदान की गई थी जिसके प्रतिकूल उपगत व्यय 463 लाख रुपए था । विनियोग की प्रत्येक प्रारंभिक यूनिट के प्रति व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

वर्ष 2003-04 के दौरान व्यय के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

विनियोग की यूनिट	2003-04 बजट अनुमान	2003-04 संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन	105.00	115.00	106.00
घरेलू यात्रा व्यय	10.00	8.00	7.00
विदेशी यात्रा व्यय	20.00	30.00	15.00
कार्यालय व्यय	60.00	80.00	63.00
वृत्तिक सेवाएं	50.00	60.00	शून्य
किराया, दरें और कर	245.00	270.00	271.00
अन्य प्रभार	10.00	10.00	1.00
योग	**500.00**	**573.00**	**463.00**

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि व्यय का मुख्य भाग वेतन के बाद किराया, दरों और कर का है । आयोग ने आबंटित बजट के भीतर व्यय को खर्च करने का प्रयास किया है । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कड़े आर्थिक उपायों को लागू कर के आयोग ने 37.00 लाख रुपए की बचत की और उसे अग्रिम में ऊर्जा मंत्रालय (बजट प्रभाग) को हस्तांतरित कर दिया गया जिससे कि उसका उपयोग अन्य आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर किया जा सके ।

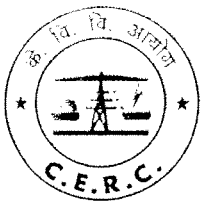
केन्द्रीय विद्युत आयोग
C.E.R.C.

वर्ष 2004-05 के लिए कार्यसूची

वर्ष 2004-05 के लिए आयोग की निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यसूची है :

- अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन ।
- आरएलडीसी पर कार्यान्वित एकीकृत भार प्रेषण स्कीम के लिए प्रतिपूर्ति/टैरिफ के सिद्धान्तों की विरचना ।
- धारा 79(ज) के अनुसार आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ग्रिड कोड को अंतिम रूप देना ।
- पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तों में संशोधन ।
- विद्युत के उत्पादन में प्रतिस्पर्धा संबंधी विचार-विमर्श आरंभ करना ।
- ऊर्जा बाजार के विकास पर विचार-विमर्श आरंभ करना ।

C.E.R.

उपसंहार

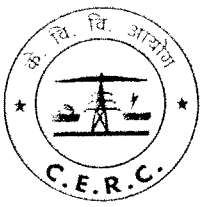
के. वि. वि. आयोग
C.E.R.C.

उपाबंध - 1

संगठन चार्ट

(31 मार्च, 2004 के अनुसार)

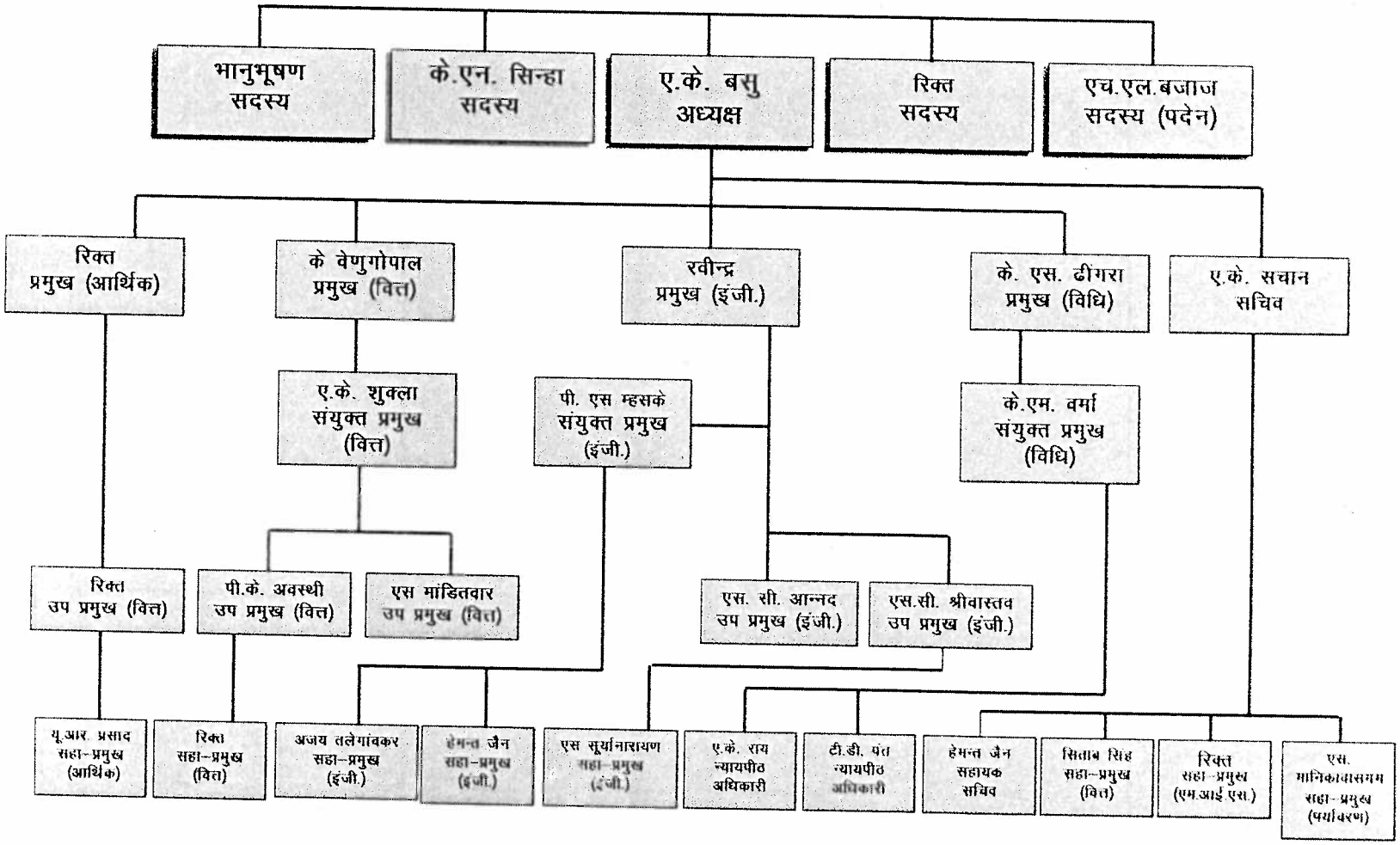

उपाबंध - 2

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारिवृन्द के ई-मेल आईडी और दूरभाष संख्या

(31 मार्च, 2004 के अनुसार)

पद नाम	नाम	दूरभाष संख्या	ई-मेल
अध्यक्ष	श्री ए.के.बसु	24360004	chairman@cercind.org
सदस्य	श्री के.एन. सिन्हा	24361280	kns60@rediffmail.com
सदस्य	श्री भानु भूषण	24361259	bhanubhushan@cerc.org
सदस्य	रिक्त		
पदेन-सदस्य	श्री एच.एल. बजाज	26102583	chairman@nic.in
सचिव	श्री ए.के. सचान	24361051	ak_sachan@yahoo.com
प्रमुख (वित्त)	श्री के. वेणुगोपाल	24364898	venu_k_gopal@hotmail.com
प्रमुख (विधि)	श्री के.एस. ढींगरा	24363174	ks_dhingra@hotmail.com
प्रमुख (इंजी.)	श्री रविन्द्र	24364960	ravinderveeksha@hotmail.com
प्रमुख (आर्थिक)	रिक्त (एक पद)		
संयुक्त प्रमुख (वित्त)	श्री यू.के. शुक्ला	24363395	ukshukla@cercind.org
संयुक्त प्रमुख (विधि)	श्री के.एम.वर्मा	24363327	k_m_varma@yahoo.com
उप प्रमुख (इंजी.)	श्री पी.एस. म्हासके	24364826	psmhaske@yahoo.com
उप प्रमुख (इंजी.)	श्री एस.सी. आनन्द	24364826	anandsca@hotmail.com
उप प्रमुख (इंजी.)	श्री एस.सी. श्रीवास्तव	24364895	scschandra@hotmail.com

उप प्रमुख (वित्त)	श्री पी.के अवस्थी	24364895	awasthi_prbhat@yahoo.com
उप प्रमुख (वित्त0	श्री एस. मांडिलवार	24364895	anjiva_mandilwar@yahoo.com
उप प्रमुख	रिक्त (तीन पद)		
सहायक सचिव	श्री हेमन्त जैन	24361145	hem_jain@hotmail.com
सहायक प्रमुख (इंजी.)	श्री अजय तलेगांवकर	24364826	ajay_tal@hotmail.com
सहायक प्रमुख (इंजी.)	श्री हेमन्त जैन	24364826	hem_jain@hotmail.com
सहायक प्रमुख (इंजी.)	श्री एस. सूर्यनारायण	24364895	surya_928a@yahoo.co.in
सहायक प्रमुख (वित्त)	रिक्त (एक पद)		
सहायक प्रमुख (आर्थिक)	श्री यू.आर.प्रसाद	24363338	uppaluri23@rediffmail.com
सहायक प्रमुख (पर्यावरण)	श्री एस.मानिकावासगम	24363338	s_vasagam@yahoo.com
सहायक प्रमुख (एम.आई.एस)	रिक्त	24364895	vilkhu@hotmail.com
सहायक प्रमुख (लेखा)	श्री सिताब सिंह	24361145	sitabs_b@yahoo.com
न्यायपीठ अधिकारी	श्री ए.के. राय	24364911	akroy44@hotmail.com
न्यायपीठ अधिकारी	श्री टी.डी.पन्त	24364911	

उपाबंध - 3

संगोष्ठियों/सम्मेलनों/आदान-प्रदान कार्यक्रमों, जिनमें भारत के बाहर आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/सचिव/कर्मचारिवृन्द ने भाग लिया

क्र0सं0	नाम और पदनाम	संगोष्ठी/सम्मेलन/ कार्यक्रम	वह देश जिसका दौरा गिया
1.	श्री अजय तेलगांवकर, सहायक मुख्य (इंजी.)	3 अगस्त से 11 अगस्त, 2003 तक इन्फ्रस्ट्राक्चर रेगुलेशन एंड रिफार्म संबंधी एसएएफआईआर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोलम्बो, श्रीलंका
2.	श्री ए.के. बसु, अध्यक्ष, श्री ए.के. सचान, सचिव	18 से 20 अगस्त, 2003 तक सीईआरसी और एफईआरसी के बीच यूएसईए/ यूएसएआईडी इनर्जी पाटर्नरशिप कार्यक्रम	यू.एस.ए.
3.	श्री रविन्द्र, प्रमुख (इंजी.), श्री के.एम. वर्मा, संयुक्त प्रमुख विधि, श्री सिताब सिंह, सहायक प्रमुख (वित्त) श्री यू.आर. प्रसाद, सहायक प्रमुख (आर्थिक)	14 से 20 अगस्त, 2003 से सीईआरसी और एफईआरसी के बीच यू.एस.ईए/यूएसएआईडी एनर्जी पाटर्नरशिप कार्यक्रम	यू.एस.ए.
4.	श्री ए.के.बसु, अध्यक्ष श्री के. वेणुगोपाल, प्रमुख (वित्त)	6 से 7 अक्तूबर, 2003 तक सैकंड वर्ल्ड फोरम आन इनर्जी रेगुलेशन	रोम, इटली
5.	श्री ए.के. बसु, अध्यक्ष श्री पी.के. म्हासके, संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	11 से 13 फरवरी, 2004 एशिया पावर 2004 सम्मेलन	सिंगापुर

उपाबंध - 4

ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिनमें भारत में आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया

क्र0सं0	मेजबानी करने वाले संस्थान का नाम	कार्यक्रम का नाम और उसकी अवधि	भेजे गए अधिकारियों के पदनाम
1.	ए एम सी एच ए एम	1 और 2 मई, 2003 'अवसंरचना विनियम संबंधी संसाधनों पर जानकारी' : शहरी ऊर्जा में विनिधाताओं के लिए इंटरनेट और नए अवसरों के माध्यम से तलाश और लाभ ।	उप प्रमुख (इंजी) सहायक प्रमुख (एम आई एस)
2.	सीटू और बार एसोशिएसन आफ इंडिया	अवसंरचना में विधिक सुधार संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : दि रोड मैप - 2 और 3 मई, 2003	संयुक्त प्रमुख (विधि)
3.	एनएलसी	विद्युत अधिनियम, 2003	श्री के.एन. सिन्हा, सदस्य
4.	इंडिया टेक फाउंडेशन, मुबंई	भारतीय ऊर्जा क्षेत्र-विज़न इन टू रियल्टी की चुनौतियां, अवसर और कनर्वजन, इंडिया टेक फाउंडेशन, मुबंई द्वारा आयोजित	श्री के.एन. सिन्हा, सदस्य
5.	आईपीपीएआई	11-12 जुलाई, 2003 से गोवा में आईपीपीएआई कांफ्रेस आन पावर स्टीम, 2003	श्री ए.के. सचान, सचिव
6.	टेरी	भारत में विनियामक सुधार संबंधी कार्यशाला, प्रभावहीनता, दक्षता और प्रभाव	श्री ए.के. सचान, सचिव
7.	विश्व बैंक	29 जुलाई, 2003 को राज्य ऊर्जा क्षेत्र में "स्ट्रेटिज़ फार सस्टेंड रिफार्मस्" पर कार्यशाला ।	श्री ए.के. सचान, सचिव
8.	सीटू	विद्युत अधिनियम, 2003 । द ईयर आफ्टर प्रोग्रेस मेड एंड चैलेन्ज़ेज ऐहड	श्री ए.के. सचान, सचिव

उपाबंध - 5

(क) के. वि. वि. आ. के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति (1-4-2003 से 31-3-2004 तक)

पिछले वर्ष (2002-03) से आगे लाई गई	2003-04 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निपटाई गई याचिकाएं	31-3-2004 को लंबित याचिकाएं
159	121	280	155	125

2003-04 के दौरान निपटाई गई याचिकाओं का ब्यौरा:

क्रम सं0	याचिका सं0	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय
1.	20/1999	एनटीपीसी	विध्यांचल एसटीपीएस प्रक्रम 1 के यूनिट 1 (300 मेगावाट) के लिए टैरिफ का अनुमोदन ।
2.	22/1999	एनटीपीसी	कायमकुलम कम्बाइंड साइकल ऊर्जा परियोजना जीटी1 और जीटी 2 के लिए टैरिफ का अनुमोदन ।
3.	23/1999	एनटीपीसी	फरीदाबाद गैस ऊर्जा परियोजना के टैरिफ का अनुमोदन ।
4.	19/2000	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में कैगा पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
5.	62/2000	एनटीपीसी	1-4-2000 से 31-3-2004 तक की अवधि के लिए तलचर थर्मल पावर स्टेशन के लिए टैरिफ ।
6.	109/2000	पीजीसीआईएल	भार प्रेषण कृत्यों को आरंभ करने के लिए आरएलडीसी को फीस और प्रभारों के संदाय के लिए अनुमोदन।
7.	30/2001	एनटीपीसी	कोरबा एसटीपीएस-1 के लिए टैरिफ का अनुमोदन - 1-4-2001 से 31-3-2004।
8.	32/2001	एनटीपीसी	विध्यांचल एसटीपीएस-1 के लिए टैरिफ - 1-4-2001 से 31-3-2004।
9.	34/2001	एनटीपीसी	रामागुंडम एसटीपीएस के लिए टैरिफ - 1-4-2001 से 31-3-2004 ।
10.	39/2001	एनटीपीसी	सिंगरौली एसटीपीएस के लिए टैरिफ - 1-4-2001 से 31-3-2004 ।

11.	41/2001	एनटीपीसी	एफजीयू, टीपीएस के लिए टैरिफ - 1-4-2001 से 31-3-2004।
12.	44/2001	एनटीपीसी	दादरी गैस पावर स्टेशन के लिए टैरिफ - 1-4-2001 से 31-3-2004।
13.	46/2001	एनटीपीसी	औरेया जीपीएस के लिए टैरिफ 1-4-2001 से 31-3-2004।
14.	47/2001	पीजीसीआईएल	1999-2000 के लिए पश्चिमी क्षेत्र को प्रोत्साहन।
15.	48/2001	पीजीसीआईएल	1999 के लिए पूर्वी क्षेत्र को प्रोत्साहन।
16.	78/2001	एनटीपीसी	गंधार जीपीएस और कवास जीपीएस के लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन।
17.	89/2001	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में 220 केबीडीसी किशनपुर पम्पोर पारेषण लाइन पर सीरीज कैपिसिटरों के लिए पारेषण।
18.	1/2002	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन।
19.	6/2002	पीजीसीआईएल	1-4-2001 से 31-3-2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में अंता परियोजना के साथ सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
20.	7/2002	पीजीसीआईएल	1-4-2001 से 31-3-2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में 400 केन्द्रीय पारेषण परियोजना के लिए पारेषण टैरिफ।
21.	8/2002	पीजीसीआईएल	1-4-2001 से 31-3-2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में औरेया पारेषण प्रणाली परियोजना के लिए पारेषण टैरिफ।
22.	9/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में 400 के.वी. डी/सी. रामागुंडम-चंदरपुर पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
23.	11/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में चुखा पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
24.	12/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में फरक्का (1 और 2) के साथ सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।

25.	13/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ
26.	14/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में टनकपुर पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
27.	15/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में विध्यांचल सी.आर.पी.- I पर एच.वी.डी.सी बैक टू बैक स्टेशन के साथ सिंगरौली - विध्यांचल पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
28.	16/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में 400 के.वी. एन.एल.सी. प्रक्रम 1 पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
29.	17/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.9.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में तलचर 1 एस.टी.पी.एस. के साथ सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
30.	18/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उरी हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के साथ सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
31.	19/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में चमेरा हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना प्रक्रम 1 से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
32.	20/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सलाल हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना प्रक्रम 1 से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
33.	21/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सलाल हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना प्रक्रम 1 से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
34.	22/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में बैरास्यूल हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।
35.	23/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में जयपोर - तलचर पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ।

36.	25/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में कहलगांव पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ
37.	26/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में सी.टी.पी. एग्यूमेंटेशन के अधीन गजुवाका स्थिति 400 के.वी. रामागुंडम पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ
38.	27/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ
39.	28/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में कवास पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ ।
40.	37/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में किशनपुर स्थित आई.सी.टी के लिए टैरिफ ।
41.	38/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में रिहंद पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
42.	39/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में चमेरा 1 - किशनपुर पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
43.	40/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में कैयगा-सिरसी पारेषण लाइन के लिए टैरिफ ।
44.	41/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में अतिरिक्त 315 एम.बी.ए., 400/200 के.वी. स्टेशन के लिए टैरिफ ।
45.	42/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में विशेष ऊर्जा मीटरों के लिए टैरिफ ।
46.	44/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में मोगा-हिसार-भिवानी पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
47.	45/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में 400 के.वी.एन.एल.सी. स्टेज 1 पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
48.	46/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए काकरापार पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।

49.	47/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विध्यांचल प्रक्रम 1 पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
50.	48/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए चन्दरपुर से सहबद्ध बस रिएक्टर के लिए टैरिफ ।
51.	49/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा-बुदीपदार पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
52.	51/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए 400 के.वी. जयपोर-गजुवाका पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
53.	52/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए कायमकुलम पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
54.	53/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय पारेषण प्रणाली के एग्यूमेंटेशन के लिए टैरिफ ।
55.	54/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में फरीदाबाद जी.बी.सी.सी.पी.पी. से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
56.	60/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए दक्षिणी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन ।
57.	61/2002	पी.जी.सी.आई.एल.	वर्ष 2000-2001 के लिए पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपब्धता पर आधारित प्रोत्साहन ।
58.	62/2002	पी जी सी आई एल	1.4.01 से 31.3.04 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में रंजीत पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
59.	63/2002	पी जी सी आई एल	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में 220 केवी बिहार शरीफ-बेगूसराय लाइन के हाथी दाह नदी क्रांसिग सेक्सन के लिए टैरिफ ।
60.	64/2002	पी जी सी आई एल	1.4.01 से 31.3.04 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में मालदा उपकेंद्र पर 50 एमवीए आटो ट्रांसफार्मर के लिए टैरिफ ।
61.	65/2002	पी जी सी आई एल	1.4.01 से 31.3.04 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में 400 के.वी. कोलाघाट रिंगाली उपकेंद्र पर 63 एम वीएआर लाइन रिएक्टर के लिए टैरिफ ।

62.	66/2002	पी जी सी आई एल	1.4.01 से 31.3.04 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विध्यांचल प्रक्रम और अतिरिक्त पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
63.	67/2002	पी जी सी आई एल	1.4.01 से 31.3.04 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में टिहरी कर्मनासा पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
64.	72/2002	पी जी सी आई एल	1.4.01 से 31.3.04 तक की अवधि के लिए विध्यांचल प्रक्रम-2 से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ ।
65.	75/2002	पी जी सी आई एल	1999-2000 से 2000-2001 के लिए उत्तरी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन ।
66.	77/2002	एन टी पी सी	1.4.01 से 31.3.04 तक की अवधि के लिए विध्यांचल एस टी पी एस प्रक्रम 2 के लिए टैरिफ का अवधारण ।
67.	79/2002	एस आर एल डी सी	49.0 एच जेड और उससे ऊपर क्षेत्रीय ग्रिड फ्रिक्वेंसी को बनाए रखना और आर एल डी सी निर्देशों का अनुपालन ।
68.	81/2002	एन टी पी सी	1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए फरीदाबाद गैस ऊर्जा परियोजना के लिए टैरिफ ।
69.	85/2002	पी जी सी आई एल	याचिका सं. 111/2000 में सी ई आर सी के तारीख 27.3.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
70.	92/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 62/2002 में तारीख 19.6.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
71.	93/2002	ग्रिडको	याचिका सं. 62/2002 में तारीख 19.6.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
72.	94/2002	एन टी पी सी	1.4.2000 से 31.3.01 के लिए गंधार जी पी एस के लिए टैरिफ ।
73.	95/2002	एन टी पी सी	1.4.99 से 31.3.01 तक दादरी गैस पावर स्टेशन के लिए टैरिफ ।
74.	100/2002	एन एच पी सी	याचिका सं. 62/2001 (टनकपुर) में तारीख 27.7.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
75.	101/2002	एन एच पी सी	याचिका सं. 64/2001 (सलाल) में तारीख 4.7.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
76.	104/2002	एन एच पी सी	याचिका सं. 60/2001 (चमेरा) में तारीख 26.8.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
77.	105/2002	एन एल सी	एन एल सी टी पी एस - 1 विस्तारण के लिए टैरिफ का नियतन ।
78.	107/2002	डब्ल्यू आर एल डी सी	ग्रिड से 49 एच जेड से निम्न की निकासी और डब्ल्यू आर एल डी सी के निदेशों का अनुपालन ।

79.	108/2002	डब्ल्यू आर एल डी सी	पूर्वी क्षेत्र ग्रिड के लिए सुरक्षा धमकी और डब्ल्यू आर एल डी सी के निदेशों का अनुपालन ।
80.	115/2002	पी जी सी आई एल	याचिका सं. 111/2000 और 118/2000 में तारीख 28.4.2001 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
81.	117/2002	पी जी सी आई एल	याचिका सं. 9/2000 में तारीख 19.6.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
82.	119/2002	पी जी सी आई एल	याचिका सं. 39/2002 में तारीख 24.6.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
83.	125/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 31/2002 में तारीख 23.9.2004 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
84.	126/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 29/2002 में तारीख 23.9.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
85.	129/2002	पी जी सी आई एल	पूर्वी क्षेत्र में 1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए विशेष ऊर्जा मीटरों के लिए टैरिफ ।
86.	130/2002	पी जी सी आई एल	याचिका सं. 54/2001 में तारीख 9.5.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
87.	133/2002	पी जी सी आई एल	1.1.2003 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में पूर्णिया स्थित 400 के वी डी/सी बोईगांव मालदा जिला और पूर्णिया (नया) स्थित उपकेंद्र के लिए टैरिफ ।
88.	135/2002	पी जी सी आई एल	1.1.2003 से 31.3.2004 तक पूर्वी क्षेत्र में पूर्णिया उपकेंद्र स्थित पूर्णिया-दलकोला 132 के वी एस सी लाइन के लिलो और उसके विस्तारण के लिए पारेषण टैरिफ ।
89.	136/2002	ए एस ई बी	निपको के ए जी बी पी पी और ए जी जी पी पी के हीट रेट संनियमों के संबंध में याचिका सं. 56/2002 में तारीख 25.9.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
90.	137/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 78/2001 में तारीख 24.10.02 के आदेश का पुनर्विलोकन (प्रोत्साहन / गैर -प्रोत्साहन)।
91.	140/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 32/2002 में तारीख 1.11.02 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
92.	141/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 33/2002 में तारीख 30.10.02 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
93.	142/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 34/2002 में तारीख 10.10.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।

94.	143/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 35/2002 में तारीख 24.10.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
95.	144/2002	एन टी पी सी	याचिका सं. 36/2002 में तारीख 1.11.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
96.	2/2003	एन टी पी सी	याचिका सं. 77/2001 में तारीख 28.6.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन/उपांतरण ।
97.	5/2003	एन एच पी सी	याचिका सं. 61/2001 में तारीख 1.11.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन (उडी एच ई परियोजना का टैरिफ)।
98.	7/2003	एस जे वी एन एल	नाप्था झाकरी हाइड्रो परियोजना का उत्पादन टैरिफ (16.4.2003 से 31.3.2004)।
99.	13/2003	एन आर एल डी सी	उत्तरी क्षेत्र के लिए एम पी एस ई बी द्वारा यू आई प्रभारों का असंदाय ।
100.	14/2003	डब्ल्यू आर एल डी सी	पश्चिमी क्षेत्र के लिए एम पी एस ई बी द्वारा यू आई प्रभारों का असंदाय ।
101.	15/2003	टी एन ई वी	एस आर संघटकों के लिए ऊर्जा ग्रिड लाइनों के माध्यम से ई आर से एस आर को ऊर्जा का अंतरण ।
102.	16/2003	एन एल सी	एन एल सी के टी पी एस II के लिए कम्बाइनिंग प्रक्रम 1 और 2 ।
103.	17/2003	एन एल सी	एन एल सी के टी पी एस 2 के कार्यान्वयन से थर्मल पावर स्टेशन 2 का अपवर्जन ।
104.	18/2003	टी एन ई वी	याचिका सं. 68/2000- रिहंद एस टी पी एस के संबंध में अतिरिक्त पूंजीकरण, में तारीख 1.11.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
105.	19/2003	एन आर एल डी सी	बी एस ई बी द्वारा यू.आई. प्रभारों का असंदाय
106.	20/2003	एन आर एल डी सी	उत्तरी क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर द्वारा यू-आई प्रभारों का असंदाय ।
107.	21/2003	पी जी सी आई एल	आय-कर प्रयोजनों के लिए कोर गतिविधि के रूप में समझे जाने के लिए बांडों पर ब्याज से प्रोद्भूत आय ।
108.	23/2003	ए पी ट्रांसको	याचिका सं. 122/2002 में तारीख 21.1.02 और याचिका सं. 75/2002 तारीख 17.2.2003 के आदेशों का पुनर्विलोकन ।
109.	24/2003	एन एल सी	ए बी टी व्यवस्था के अधीन उत्पादक द्वारा घोषित क्षमता से अधिक मासिक उत्पादन के लिए उपाय ।

110.	25/2003	पी जी सी आई एल	उत्तरी क्षेत्र में रिहंद-II पारेषण प्रणाली के लिए क्षेत्रीय स्कीम में यू पी सी एल पर विचार करने के लिए विनियम 86 के अधीन अनुमोदन ।
111.	26/2003	एन टी पी सी	गैस स्टेशन के संबंध में ए.बी.टी के अंतर्गत कम्बाइंड ईंधन फोर्स समायोजन फार्मूला अनुज्ञात करने के लिए ।
112.	27/2003	एन एच पी सी	1.7.2003 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए चमेरा एच ई परियोजना प्रक्रम-2 के लिए उत्पादन टैरिफ ।
113.	29/2003	पी टी सी	पावर ट्रेंटिग कारपोरेशन को व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन ।
114.	30/2003	ए टी आई एल	अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन/ऊर्जा में अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करने के लिए अनुज्ञा ।
115.	31/2003	ए पी ट्रासंको	याचिका सं. 132/2002 (तलचर स्थित तलचर एच वी डी सी टर्मिनल स्टेशन के लिए टैरिफ) में तारीख 17.2.2003 के आयोग के आदेश का पुनर्विलोकन ।
116.	34/2003	एन एल सी	एन एल सी के थर्मल पावर स्टेशन-I विस्तारण (2x 200 एमडब्ल्यू) के यूनिट सं. 1 के लिए ए बी टी प्रचालन को स्थगित करने के लिए अनुरोध ।
117.	35/2003	एन एच पी सी	आयोग के आदेशों और 24.4.03 से 18.5.03 तक की अवधि के लिए 3 डी एच ई परियोजना के संबंध में पी जी सी आई एल द्वारा आई ई जी सी के उपबंधों का अनुपालन ।
118.	39/2003	आर ई टी पी एल	रिलायंस इनर्जी टेट्रिंग प्रा. लि. (आर.ई.टी.पी.एल.) को अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना
119.	40/2003	टी डी टी एल	ताला दिल्ली ट्रांसमिशन लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करना ।
120.	42/2003	एन ई आर एल डी सी	उत्तर-पूर्वी व्यवस्था में ए बी टी का कार्यान्वयन ।
121.	43/2003	एन टी पी सी	ए बी टी कार्यान्वयन के दौरान आई कठिनाईयों को दूर किया जाना (आई ए सं. 14/2003 को याचिका सं. 2/1999 में तारीख 11.8.03 के आदेश के अनुसार याचिका के रूप में समझा गया) ।
122.	47/2003	टी एन ई बी	2001-2004 की अवधि के लिए नागार्जुन सागर स्थित तीसरे 315 एम बी ए आई सी टी के लिए पारेषण टैरिफ ।

123.	49/2003	एन टी पी सी	परियोजना मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र अभिकरणों की अधिसूचना ।
124.	51/2003	एन टी पी सी	याचिका सं. 23/1999 - फरीदाबाद गैस ऊर्जा केन्द्र के लिए 1.9.1999 से 31.3.2001 तक टैरिफ का अनुमोदन, - में तारीख 30.6.2003 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
125.	52/2003	एन टी पी सी	याचिका सं. 81/2002- फरीदाबाद गैस ऊर्जा केन्द्र के लिए 1.4.2001 से 31.3.2004 तक टैरिफ का अनुमोदन, - में तारीख 30.6.2003 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
126.	53/2003	एन आर एल डी सी	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. द्वारा यू आई प्रभार - अननुसूचित का असंदाय।
127.	54/2003	टी एन ई बी	याचिका सं. 40/2002 में तारीख 30.6.03 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
128.	55/2003	टी एन ई बी	याचिका सं. 7/2002 में तारीख 30.6.03 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
129.	56/2003	स्वप्रेरणा	विद्युत व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें ।
130.	59/2003	एन टी पी सी	याचिका सं. 39/2001 में तारीख 23.7.03 के आयोग के आदेश का पुनर्विलोकन (सिंगरौली एस टी पी एस 1.4.2001 से 31.3.2004 के लिए टैरिफ) ।
131.	61/2003	यू पी पी सी एल	याचिका सं. 39/2001 में तारीख 23.7.03 के आयोग के आदेश का पुनर्विलोकन (सिंगरौली एस आर पी एस 1.4.2001 से 31.3.2004 के लिए टैरिफ) ।
132.	62/2003	टी एन ई बी	याचिका सं. 51/2002 में तारीख 30.6.03 के आयोग के आदेश का पुनर्विलोकन ।
133.	63/2003	टी एन ई बी	याचिका सं. 9/2002 में तारीख 18.7.03 के आयोग के आदेश का पुनर्विलोकन ।
134.	65/2003	पी जी सी आई एल	याचिका सं. 51/2002 में 400 के वी जयपोर गजुवाका 1.4.01 से 31.3.04 में आयोग के तारीख 18.7.03 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
135.	67/2003	स्वप्रेरणा	टैरिफ के निबंधन और शर्तों पर विचार-विमर्श दस्तावेज ।
136.	68/2003	एन टी पी सी	याचिका सं. 30/2001 में - 1.4.01 से 31.3.04 की अवधि के लिए कोरबा एस टी पी एस के लिए टैरिफ आयोग के तारीख 6.8.03 के आदेश का पुनर्विलोकन ।

137.	69/2003	एन टी पी सी	याचिका सं. 77/2002 1.4.01 से 31.3.04 तक की अवधि के लिए विंध्यांचल एस टी पी एस प्रक्रम 2 के लिए टैरिफ - में आयोग के तारीख 1.8.03 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
138.	72/2003	एच वी पी एन	याचिका सं. 81/2002 में - फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ के अनुमोदन के लिए-आयोग के तारीख 30.6.03 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
139.	73/2003	पी टी एल	पारेषण लाइन के संबंध में, प्रदाय और संनिर्माण संविदाओं में कीमत फेरफार और कीमत और मात्रा फेरफार में वृद्धि के कारण परियोजना लागत में अभिवृद्धि के लिए स्वीकृत अंगीकृत पद्धति का अनुमोदन ।
140.	74/2003	एन टी पी सी	याचिका सं. 34/2001 1.4.2001 से 31.3.2004 तक रामागुंडम एस टी पी एस के लिए टैरिफ -- में आयोग के तारीख 6.8.03 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
141.	75/2003	के ई आर पी एल	विद्युत में व्यापार करने के लिए अंतरिम अनुमोदन और विद्युत में व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना ।
142.	78/2003	ई ई डी सी एल	अंतर-राज्यिक आधार पर विद्युत ऊर्जा का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन ।
143.	79/2003	ए ई एल	विद्युत में व्यापार -- अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना ।
144.	80/2003	जी ई बी	कवास जी पी एस से जी ई वी द्वारा ली गई ऊर्जा के लिए परिवर्तनीय लागत की बिलिंग के लिए एन टी पी सी को निदेश देने के लिए ।
145.	81/2003	डी टी एल	दिल्ली ट्रासंको लि. द्वारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से ऊर्जा के क्रय के लिए टैरिफ संनियम ।
146.	85/2003	जी एम आर	अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति ।
147.	86/2003	एन एच डी सी	इंदिरा सागर परियोजना के उत्पादन टैरिफ का अंनतिम अनुमोदन ।
148.	87/2003	टी पी सी एल	अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन ।
149.	88/2003	एन वी वी एन एल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अनुसार विद्युत में व्यापार आरंभ करने के लिए "समझे गए अनुज्ञप्तिधारी" के रूप में एन वी वी एन एल की घोषणा के लिए ।

150.	89/2003	यू पी पी सी एल	याचिका सं. 33/2001 (एफ जी यू टी पी एस के लिए टैरिफ) में आयोग के तारीख 30.10.2002 को आदेश का पुनर्विलोकन ।
151.	92/2003	पी टी एल	पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण लाइन परियोजना के वित्तपोषण के लिए उधारदाताओं का मामला ।
152.	94/2003	एन एल सी	याचिका सं. 16/2003 - ए बी टी के अंतर्गत यू आई प्रयोजनों के लिए एन एल सी के कंवाइनिंग टी पी एस-2 के प्रक्रम 1 और प्रक्रम 2 -- में आयोग के तारीख 15.10.2003 के आदेश का पुनर्विलोकन ।
153.	98/2003	एन एच पी सी	लोकटक एच ई परियोजना के संबंध में 1.4.2000 से 31.3.2003 तक की अवधि के लिए एन एच पी सी को आय-कर रकम की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रतिवादियों के लिए माननीय आयोग का निदेश प्राप्त करने के लिए ।
154.	99/2003	के पी टी एल	बीना नागदा-देहगम 400 के.वी. पारेषण लाइन के निष्पादन में मार्गाधिकार और वन निकासी अनुज्ञा के संबंध में पावर ग्रिड को निदेश जारी करना ।
155.	3/2004	एन टी पी सी	याचिका सं. 32/2001 - 1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए विंध्यांचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्रक्रम 1 के लिए टैरिफ के लिए अनुमोदन - में आयोग के तारीख 6.11.03 के आदेश का पुनर्विलोकन ।

(ख) के.वि.व.आ. के समक्ष फाइल किए अंतर्वर्ती आवेदन :

गत वर्ष (2002-03) से आगे लाए गए अंतवर्ती आवेदनों की संख्या	2003-04 की अवधि के दौरान प्राप्त अंतवर्ती आवेदनों की संख्या	कुल	निपटाए गए	31.3.2003 को लंबित अंतवर्ती आवेदनों की संख्या
9	80	89	84	5

एन. टी. पी. सी. ऊर्जा केन्द्रों का अवस्थितिक मानचित्र

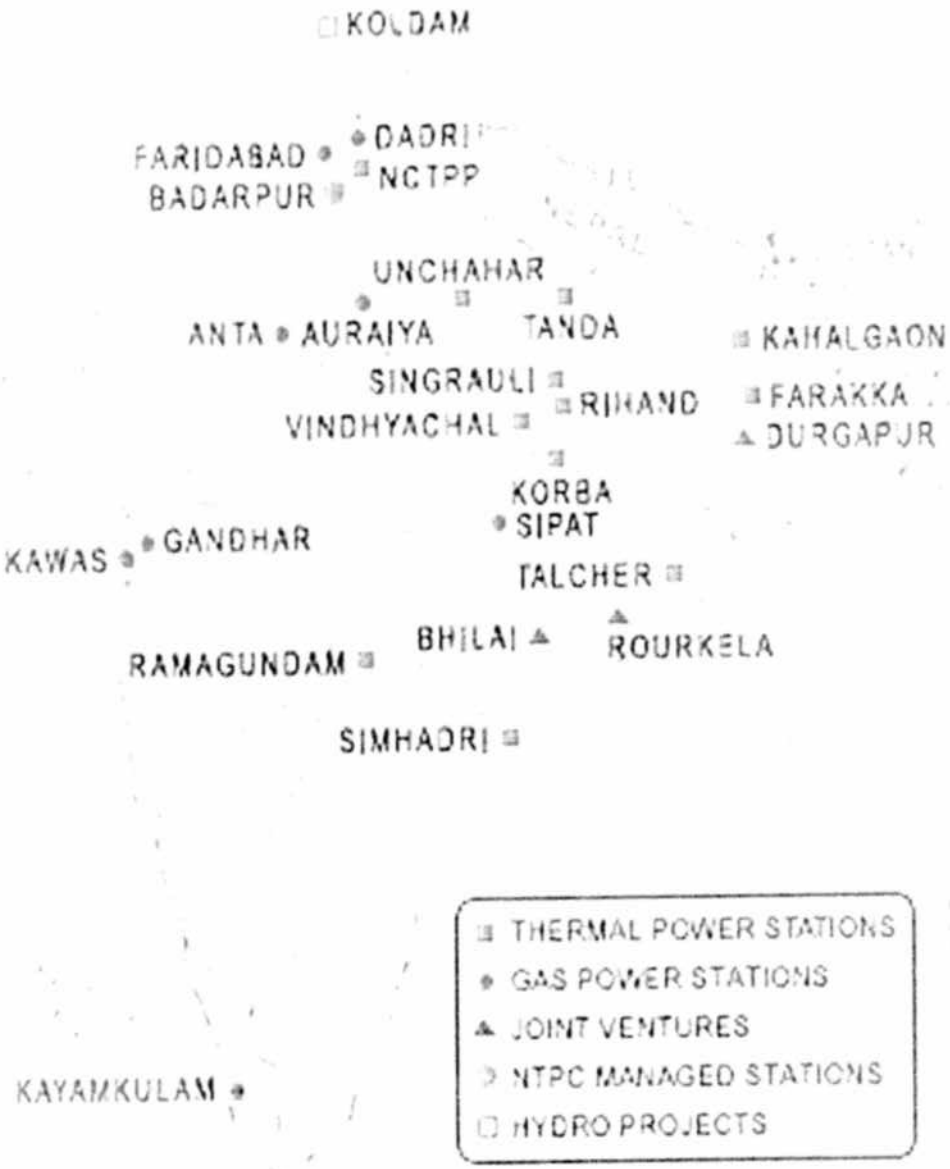

एन. एच. पी. सी. ऊर्जा केन्द्रों का अवस्थितिक मानचित्र

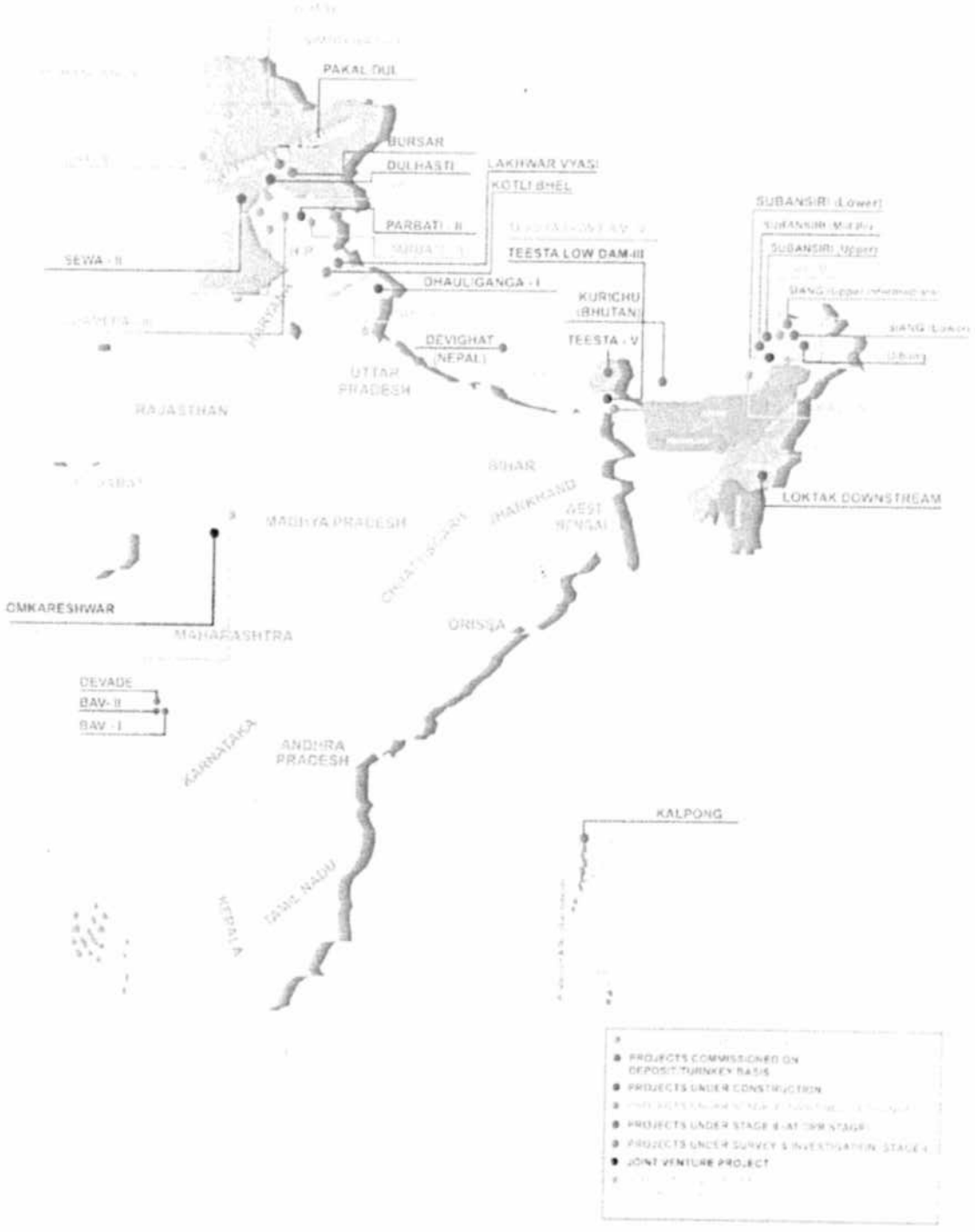

निपको ऊर्जा केन्द्रों का अवस्थितिक मानचित्र

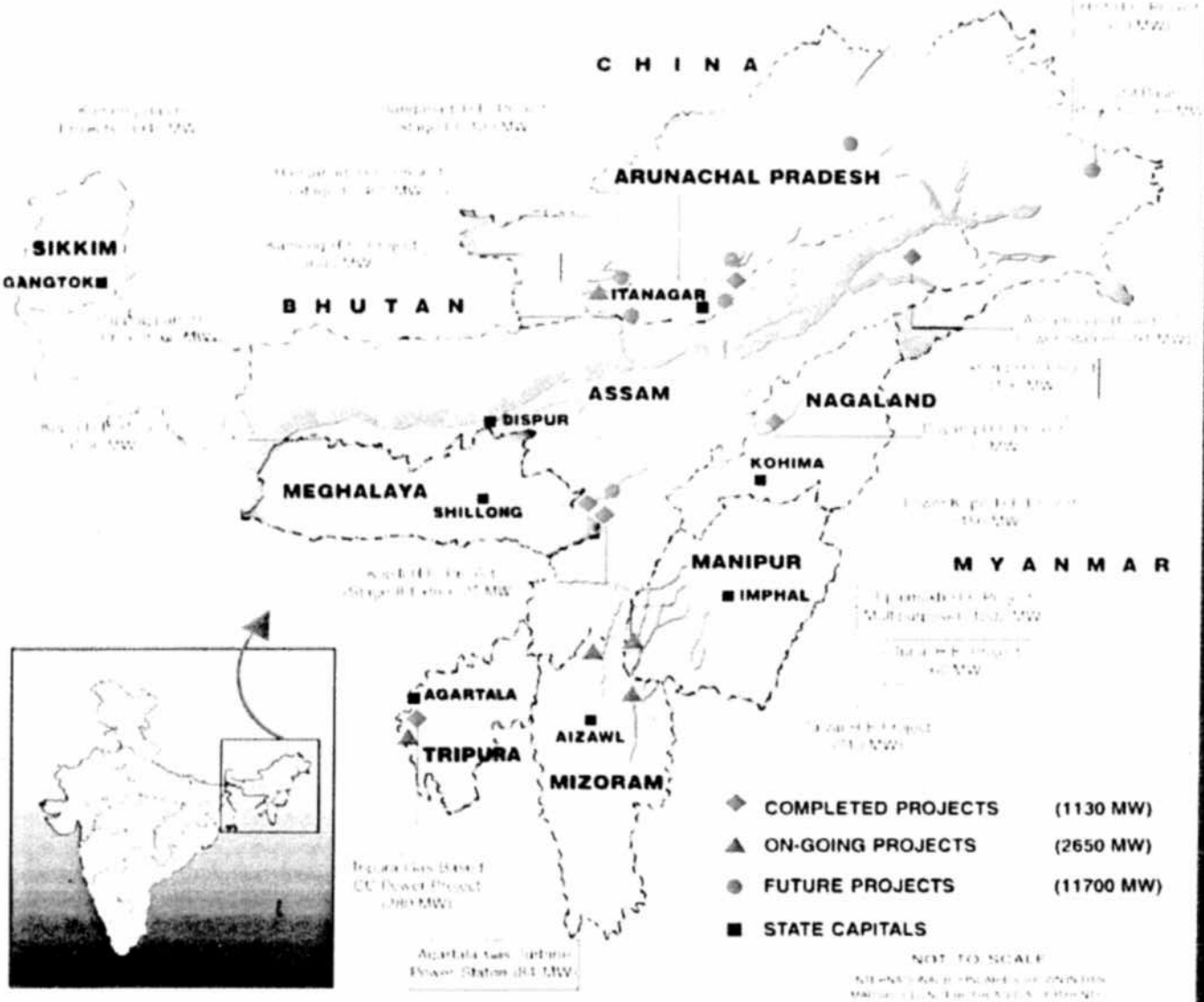

पावर ग्रिड का अंतर–राज्यिक पारेषण नेटवर्क का अवस्थितिक मानचित्र

31-03-2004 के अनुसार

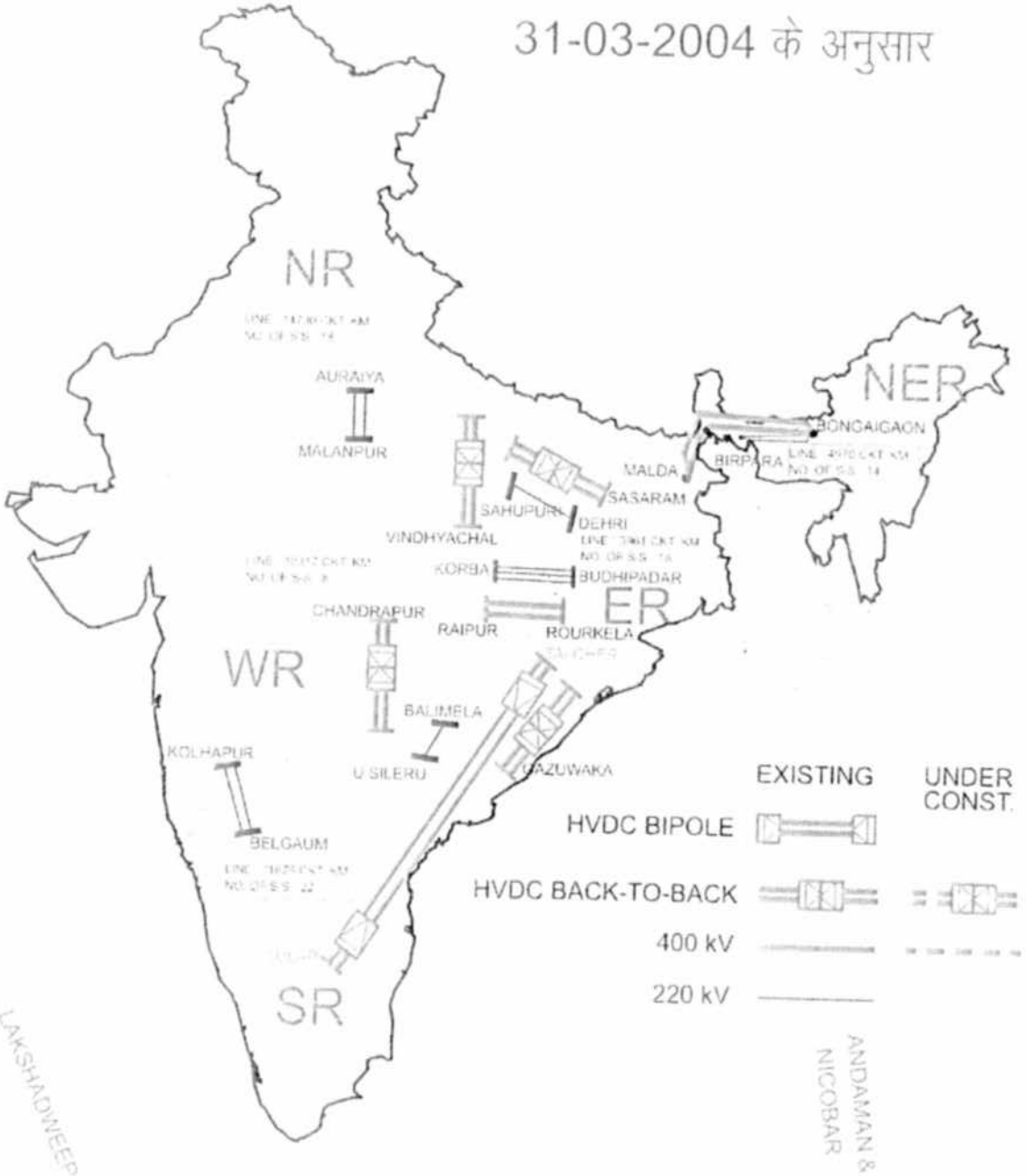

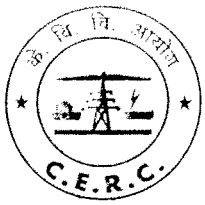
C.E.R.C.